संघर्ष संवाद

मार्च 2013 नई दिल्ली

हम संघर्ष संवाद लेकर आपके बीच हर तीन महीने बाद हाज़िर होते हैं. कारपोरेट दुनिया की तिमाही रिपोर्टों में चाहे जिसकी जीत-हार हो, असल ज़मीन पर रोजमर्रा के सवालों से जूझते भारत के आम इंसान की दुश्वारियां और बढ़ जाती हैं. देश के हुक्मरान और उनकी पुलिस आज किसानों की ज़मीन हड़पती, नदियों का पानी छीनती, जंगलों को बेपर्द करती उस प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जिसके वहशीपन को छिपाने के लिए उसे विकास जैसा नाम दिया गया हैं. 90 के दशक में उछला आर्थिक सुधार का नारा आज एक ऐसा जुआ बन गया है जिसके नीचे हमारे किसान-आदिवासी-मजदूर-दलित और गरीबों के कंधे चरमरा रहे हैं. अखबारी खबरों की सतह के नीचे ऐसी बहुत सारी उथल-पुथल जारी है, जिसका हम सबसे वास्ता है. संघर्ष संवाद इन्ही छोटी-बड़ी लड़ाइयों का हरकारा है. अपने संघर्षों की खबरें एक-दूसरे तक और बाकी समाज तक पहुंचाने की एक कोशिश, ताकि हम एक-दूसरे से सीखें, हौसला बनाए रखें और कल कुछ बेहतर हो.

इस साल की शुरुआत से ही अब हर खबर को 2014 के चुनावों से जोडकर देखा जा रहा है. लेकिन इस बार के बजट में और विभिन्न जनांदोलनों को लेकर सरकारों और राजनीतिक पार्टियों के रुख पर ध्यान दें तो यह साफ़ हो जाता है कि इस जमात ने अब चुनावी दबाव में भी आम लोगों की चिंता करना छोड़ दिया है. देश की शासक पार्टी ने खुदरा में विदेशी निवेश के पक्ष में रैली करके जो शुरुआत की, उससे सीख लेकर लगभग हर दल और राज्य सरकारें अब विकास के भरोसे ही चुनाव जीतने का मन बना चुके हैं. शायद इस बात का भरोसा है कि कुछ ना-नुकुर के बाद भी मध्यवर्ग अंततः साथ आएगा और उससे नीचे तबके वालों के पास कोई विकल्प नहीं है. तमिलनाडु के कूडनकुलम से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक, ओडिशा के जंगलों और यूपी में पानी के मसले पर, हर जगह सरकारों का क्रूर रवैया सामने आ रहा है. आंदोलन के कार्यकर्त्ताओं को फर्जी मामलों में फंसाना तो अब दस्तूर बनाता जा रहा है.

दिल्ली में हुई निर्मम बलात्कार की घटना के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि सरकार जन-दबाव में औरतों की सुरक्षा और बराबरी बहाल करने के कदम उठाएगी, लेकिन संसद में हुई बहस अंततः मोहल्ले के मर्दों की महफ़िल साबित हुई और बलात्कार-विरोधी क़ानून ढेर सारी क़तर-ब्योंत के बाद ही पास हुआ.

इस बीच आमजन और समाजकर्मियों का एक जत्था मुंबई से दिल्ली उस रास्ते पहुँचा जिससे होकर विकास का क्रूर सपना तेज रफ़्तार गुजरने के मंसूबे बाँध रहा है. इन ज़रूरी दस्तकों और पहलकदमियों और हमारी चुनौतियों को साझा करने प्रस्तुत है इस बार का संघर्ष संवाद.

उत्तर प्रदेश
- पानी के निजीकरण के खिलाफ कुंभ में जल संसद
- अति वंचित समुदायों की बड़ी दस्तक

ओडिशा
- पोस्को विरोधी कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या और बर्बर लाठीचार्ज की भर्त्सना

छत्तीसगढ़
- हादसे के लिए जिंदल जिम्मेदार
- जिंदल, जंगल और जनाक्रोश: 2008 का पुलिस दमन नहीं भूलेंगे रायगढ़ के लोग
- कारपोरेट लूट- पुलिसिया दमन के विरोध में दुर्ग में दस्तक: किसान-मजदूर-आदिवासियों ने किया प्रदर्शन

झारखण्ड
- झारखण्ड : जल, जंगल, जमीन, खनिज की लूट के विरोध में जनअभियान तेज
- आप आंदोलन में हैं, तो व्यक्तिगत मुकदमों के लिए तैयार रहें : दयामनी बारला

हिमाचल प्रदेश
- मंत्री जी, देश की वनभूमि पर कारपोरेट का जंगलराज कायम हो गया है !
- किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला : जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश

बिहार
- एक बूँद पानी भी अभिजीत ग्रुप के प्लांट को नहीं देंगे: किसानों का ऐलान

मध्यप्रदेश
- मुलताई गोलीकांड के 15 साल पुरे : किसान लाचार, इंसाफ का इंतजार
- ओम्कारेश्वर बांध विरोधी आंदोलन निर्णायक दौर में

उत्तराखण्ड
- कॉरपोरेट नहीं जनता बनाएगी पहाड़ों में जल विद्युत परियोजनाएं!

तमिलनाडु
- कूडनकुलम: रिएक्टर चालू होने से पहले ही आशंका के घेरे में, सरकार अड़ी

दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

उत्तर प्रदेश

पानी के निजीकरण के खिलाफ कुंभ में जल संसद

कहा जाता है कि राजा भागीरथी अपने पुरखों को तारने के लिए हिमालय से गंगा बहा कर तीर्थराज प्रयाग लेकर आये थे। लाखों श्रद्धालु हर साल गंगा व जमुना के संगम तट पर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। पर आज के राजा इन नदियों का पानी कारपोरेट घरानों व विदेशी कम्पनियों को बेच रहे हैं। पानी का निजीकरण पानी पर लोगों के नियंत्रण का अधिकार छीन रहा है और उन्हें अपनी परंपरागत आजीविका से बेदखल कर रहा है। इन्हीं सवालों की रोशनी में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने कुंभ मेले में जल संसद का अभियान चलाया। इसके तहत गीतों और पर्चे के जरिये सघन जन संवाद का आयोजन हुआ। जल संसद में जनता से अपील की गयी कि कल्पवास में किये गये त्याग को देशभक्ति की दिशा दें और इन कम्पनियों को पानी उठाने की अनुमति के विरूद्ध आवाज बुलन्द करें। पेश है राजकुमार पथिक की रिपोर्ट;

केन्द्र व राज्य सरकारों ने कुम्भ मेले में अरबों रुपया खर्च किया है। लगभग सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने कुम्भ मेले में स्नान कर अपनी धर्मिक प्रतिबद्धता और जनता के साथ जुड़ाव को स्थापित करने का काम किया। धार्मिक अखाड़ों और मठों ने यहां अपने भव्य पंडाल सजाये। उनके बीच प्रभुत्व की लड़ाई भी खुल कर सामने आयी। दूसरी ओर लाखों की संख्या में संगम तट पर पहुंचे बेबस और बेसहारा लोगों ने देश के चमकते विकास में अपनी बदहाली की उपस्थिति दर्ज करायी। गंगा-जमुना में पानी इतना कम है कि सरकार ने कुम्भ के नहानों पर इस बार भी सिंचाई नहरों को बन्द कर दिया है।

गंगा व यमुना केवल पुरखों की याद की निशानी नहीं हैं। यहां से पूर्वजों ने भारत की सभ्यता का विकास किया था, खेती की, जीवन बढ़ाया और भारत को एक विशाल देश के रूप में विकसित किया। एक समय भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। नदी से जीवन के बहुत सारे काम चलते हैं। खेती से अन्न मिलता है। अन्य लाभकारी फसलें होती हैं। भूगर्भ में जलस्तर बना रहता है, प्यास बुझती है। शहरों में पेयजल आपूर्ति होती है व शहरों व गांवों के कचरे की सफाई होती है। पानी सफाई करने के काम आता है, पर गन्दा पानी प्रदूषण और बीमारी फैलाता

है। नदी में मछली पलती है। सामान व लोगों का परिवहन होता है। प्राकृतिक संतुलन बना रहता है वरना भंयकर सूखे व बाढ़ से पूरा जीवन हताहत हो जाए।

बारा में जेपी ग्रुप का प्रयागराज पावर कारपोरेशन बन रहा है। इसके लिए पड़ुआ से लोहगरा तक 17 किमी लम्बी छह फुट व्यास का पाइप इसके लिए बिछाया जा रहा है। इससे मई-जून में नदी पूरी तरह सूख जायेगी। करछना में इसी ग्रुप का संगम पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इन दोनो कम्पनियों ने 9797 लाख लीटर पानी उठाने के लिए सरकार से उचित अनुमति भी नहीं ली है। कंपनियां भारी पैमाने पर कोयले की राख उगल रही हैं और प्रदूषण फैला रही हैं लेकिन सरकार ने आंख बंद कर रखी है। इससे यमुना नदी के सूख जाने का खतरा है। कंपनी से निकलनेवाली राख से मरकरी और लेड रिसेगा जिससे भूगर्भ के पानी में जहर फैलेगा और यह पानी पीने व खेती के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ बर्बाद हो जायेगा- मछली, बालू, नहरें, खेती, शहर की पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल भी। इससे जमुनापार इलाके के दस लाख लोगों का जीवन प्रभावित होगा।

यमुनापार तीन ताप बिजलीघर एक झुण्ड में लगाये जा रहे हैं- बारा, मेजा और करछना में। बारा तापघर में रोज 24 हजार टन कोयला जलेगा और उससे कम से कम 6,600 टन राख रोज निकलेगी जो 7-8 किलोमीटर की गोलाई में खेती नष्ट कर देगी और जमीन में मरकरी और लेड के रिसने से पानी जहरीला हो जायेगा। बारा बिजलीघर शुरू में 51.25 लाख लीटर प्रति घंटा और करछना बिजलीघर 46 लाख लीटर पानी खींचेगे। बाद में बारा प्लान्ट 1980 मेगावाट से 33 हजार मेगावाट की क्षमता का हो जायेगा और इसी अनुपात में और अधिक पानी खींचेगा।

सरकार का दावा है कि इससे जनता को बिजली मिलेगी, कम्पनियों व नौकरियों का विकास होगा। पर आजीविका छीन कर बिजली देना, कौन सी समझदारी है? भूखे-प्यासे बिजली लेकर क्या करेंगे? गरीबों तक बिजली पहुंचाने की बात तो केवल छलावा है। शहरीकरण बढ़ा है। उसके चमकदार बाजारों में तथा बड़ी कम्पनियों को सरकार बिजली देना चाहती है।

यह काम जगह-जगह सौर ऊर्जा केन्द्र लगा कर भी पूरा किया जा सकता है। सौर ऊर्जा एक कस्बे, कुछ गांव या शहर की एक कालोनी की बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त होती है। इसमें खेती की जमीन भी नहीं जाती, ईंधन व पानी का भी प्रयोग शून्य होता है। इसे पहाड़ों व मकानों की छत पर कहीं भी लगाया जा सकता है। प्रारम्भिक लागत भले कुछ ज्यादा होती है लेकिन उसे चलाने में शून्य खर्च आता है क्योंकि कोई भी ईंधन व पानी का प्रयोग नहीं होता और जनता भी विस्थापित नहीं होती।

लेकिन सरकार उल्टी गंगा बहाना चाहती है। इसके लिए पूरे इलाके की खेती, नदी का पानी, आम लोगों के जीवन को दांव पर लगाने को उतारू है। यह तीन बिजली योजनाएं सपा सरकार ने बनवाई थीं। बसपा ने उसका प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने उसे स्वीकृति दी और भाजपा ने उसका समर्थन किया।

उम्मीद है अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा द्वारा पानी के निजीकरण के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान आगे और मजबूत होगा तथा कारपोरेट द्वारा ससांधनों की खुले आम लूट को भी चुनौती देगा।

अति वंचित समुदायों की बड़ी दस्तक

गुज़री 7 मार्च को लखनऊ में प्रदेश के नौ जिलों से आये नट, कंजड़, मुसहर, सपेरा जैसे अति वंचित समुदायों के लोगों ने अपनी दुख-तकलीफों के अलावा सरकार-प्रशासन द्वारा उनके साथ किये जा रहे सौतेले बर्ताव की शिकायतों की भी गठरी खोली। दरिद्रता और दुर्दशा की आग में उन्हें लगातार झोंके जाने के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा उतारा। कहा कि उन्हें बराबरी और गरिमा के साथ जीने का अधिकार चाहिए। अंत में शासन को दिये जानेवाले संयुक्त ज्ञापन का मसौदा पारित हुआ। पेश है संघर्ष संवाद की यह रिपोर्ट:

अपनी आपबीती सुनाने और अपनी चाहतों का इज़हार करने का यह मौक़ा उन्हें अति वंचित समुदायों के जीने के अधिकार पर फोकस राज्य स्तरीय विमर्श के तहत मिला। इसका आयोजन गंगा प्रसाद वर्मा मेमोरियल हाल में हुआ। इसमें भदोही, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फ़तेहपुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ और ललितपुर से इन समुदायों के लगभग ढाई सौ लोगों ने भागीदारी की। इनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग आधी थी।

विमर्श में यह सवाल प्रमुखता से उठा कि कल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी सेवाओं से वे वंचित क्यों हैं। यह मांग की गयी कि मनरेगा से लेकर राशन कार्ड, आंगनवाड़ी, आवास, शिक्षा, पेयजल, पेंशन, जमीन का पट्टा जैसे मामलों में उनके साथ हो रहे अन्याय को रोका जाये और उन्हें पूरा न्याय दिया जाये। विमर्श के पैनल में शामिल थे- इंडियन वर्कर्स कौंसिल के रामकृष्ण, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अंबिका प्रसाद, पत्रकार अफ़ज़ाल अहमद अंसारी समेत समुदाय की ओर से दो महिला प्रतिनिधि इलाहाबाद की सुदामा देवी और जौनपुर से परमशिला। मुसहरों के बीच लंबे समय से काम कर रहे हरीराम वनवासी ने अपने समाज की भीषण गरीबी और बेबसी की तस्वीर खींचते हुए माना कि हालात को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को आगे आना होगा। गोरखपुर की राजकुमारी ने अपनी और अपने समाज की दुर्दशा का बयान किया और बताया कि मनरेगा के तहत नौ महीने पहले किये गये उनके काम की मजदूरी अभी तक बकाया है। इलाहाबाद की सरिता देवी के पिता की हत्या हुई लेकिन मामले की एफआईआर तक दायर नहीं हो सकी। समारू मदारी (जौनपुर), भगवान शंकर (उन्नाव), निर्मला देवी (वाराणसी), मुन्नी (गोरखपुर) आदि दर्जनों वक्ताओं ने अपनी बात बेबाकी से रखी। बिहान की पहल पर आयोजित किये गये राज्य

स्तरीय विमर्श का यह साझा आयोजन बिहान के अब तक के हस्तक्षेपों की अगली कड़ी के बतौर था ताकि शासन-प्रशासन के स्तर पर अति वंचितों के हित-अधिकारों को लेकर पैरवी का माहौल बने। संबंधित सरकारी विभागों और निकायों के ज़िम्मेदारों तक उनकी आवाज़ पहुंचे और उनमें आत्मविश्वास उपजे। शासन-प्रशासन और सामाजिक प्रयासों के बीच आपसी संवाद और तालमेल की शुरूआत हो। और इस तरह अति वंचितों की बेहतरी का रास्ता बने और जो आख़िरकार नीतिगत बदलाव की दिशा पकड़े। बिहान जन अधिकारों के मोर्चे पर सक्रिय संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों का साझा बैनर है और आठ जिलों में अति वंचित समुदायों के बीच जीने का अधिकार अभियान नाम की साझा दस्तक का संयोजन कर रहा है। विमर्श के सह आयोजकों में लोक हकदारी मोर्चा, जन केंद्रित विकास समिति और कासा शामिल थे।

विमर्श की शुरूआत में आयोजन के सरोकारों का सार संक्षेप पेश किया गया। यह आयोजकों की चिंताओं और बिहान के ताज़ा हस्तक्षेपों का ब्यौरा है। परचे की शुरूआत में कहा गया है कि; तमाम प्रावधानों और कल्याणकारी सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद अति वंचित समुदायों की बस्तियों में केवल भूख है, बदहाली है, लाचारी है, बेकारी है... उन पर ज़ोर-ज़ुलुम की तपती धूप है और कहीं कोई छाया नहीं, सुनवाई के रास्ते लगभग बंद... । यह तस्वीर सभी अति वंचित समुदायों की है। आज़ादी मिलने के बाद बहुत कुछ बदला। नहीं बदली तो यह तस्वीर बल्कि कई गुना और गाढ़ी हो गयी। हालात इतने उल्टे हुए कि ख़ुद दुखियारे अपनी बेहतरी का सपना देखना तक भूल गये। यह स्थिति चमकते विकास के आंकड़ों का सबसे अंधेरा पहलू है। साझेदारी की ज़रूरत को पेश करते हुए परचे में कहा गया कि; बेशक़, अति वंचित समुदाय अलग-थलग रह कर अपनी बेहतरी की जंग नहीं लड़ सकते। इसके लिए उनका संगठित और सक्रिय होना बुनियादी शर्त है। लेकिन केवल इतना भर पर्याप्त नहीं है। उन शक्तियों के साथ अति वंचित समुदायों की साझेदारी बेहद ज़रूरी है जो व्यापक जनता को इंसाफ़ दिलाने के लिए मैदान में हैं- विभिन्न ग़रीब समर्थक संगठन, नेटवर्क, आंदोलन, समूह और विभिन्न पेशों और तबक़ों से जुड़े सचेत व्यक्ति। यह समझदारी ही अति वंचित समुदायों के जीने के अधिकार की हिफ़ाज़त और उनके सतत विकास की कुंजी बन सकती है।

ज़रूरत इस बात की है कि वंचनाओं से मुक्ति की चाहतों की धुनों पर व्यापक साझेदारी का गीत गूंजे और जो दूर तलक़ पहुंचे। बहरहाल, हस्तक्षेपों की ताज़ा कड़ी में अभी छह माह पहले बिहान के घटक संगठनों/सदस्यों ने अपने-अपने इलाक़ों में, कुल 11 जिलों में, दलित और वंचित समुदायों ख़ास कर मुसहर, नट, कंजड़, हेला, फ़क़ीर, खुटकढवा, गिहार, मदारी, सपेरा, सहरिया, कबूतरा जैसी अर्ध घुमंतू जातियों की स्थितियों-परिस्थितियों का जायज़ा लिया। आठ जिलों में बाक़ायदा सर्वे हुआ। भले ही यह सर्वे चुनिंदा इलाक़ों तक सीमित था लेकिन उससे बख़ूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम तौर पर हालात कितने गंभीर हैं। सर्वे बताता है कि इन समुदायों के सामने जीने का विकट संकट है और वे ग़रीबों के लिए चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहुंच से भी बाहर हैं। वे भूमिहीन हैं और उनकी आजीविका का मुख्य साधन मज़दूरी है। खेती के लगातार मंहगा और जोखिम भरा होते जाने और उसके अंधाधुंध मशीनीकरण के साथ खेती से जुड़े उद्योग-धंधों के ख़ात्मे ने मज़दूरी के मौक़ों को बुरी तरह घटाने का काम किया है। ज़ाहिर है कि लक्षित समुदाय पहले से कहीं अधिक भूख और कुपोषण की गिरफ़्त में हैं। बेघरी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सहूलियतों से भी बहुत दूर हैं। व्यापक समाज में उन्हें जगह नहीं मिलती और पंचायतों में भी उनकी सुनी नहीं जाती। एक वाक्य में कहें तो अति वंचित समुदाय दूसरे दर्ज़े के नागरिक की हैसियत में घिसट-घिसट कर जीने को मजबूर हैं। बहरहाल, सर्वे से निकले मुद्दों को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किये गये ताकि अति वंचितों के पक्ष में जनमत बने और दबाव पड़े।

ओडिशा

पोस्को विरोधी कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या और बर्बर लाठीचार्ज की भर्त्सना

2 मार्च , शाम 6.30 बजे पास्को के किराये के गुण्डों ने पटाना गांव में पास्को विरोधी कार्यकर्ताओं पर बम फेंके जिससे तीन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई मरने वालों में नरहरि साहू , मानस जेना (24), नवीन मंडल (27) हैं। नछी मंडल (27) गंभीर रूप से घायल है। ये सभी गोबिंदपुर के निवासी हैं तथा अन्य कई कार्यकर्ता गभीर रूप से घायल हो गयें, इनमें से एक कटक मेडिकल कॉलेज मे अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पास्को प्रबंधन तथा स्थानीय ठेकेदारों द्वारा रचा गया यह षडयंत्र, जिसे ओडिशा सरकार का आर्शीवाद भी प्राप्त था। इस का उद्देश्य पास्को प्रतिरोध संग्राम समिति के अध्यक्ष अभय साहू की हत्या करना तथा पास्को विरोधी संघर्ष को घिनौने असंवैघानिक तरीकों द्वारा अपराधिक तत्वों की मदद से इस आंदोलन का हिंसात्मक दमन करना तथा पास्को प्रतिरोध संग्राम समिति के उन कार्यकर्ताओं को धमका कर रास्ते से हटाना था जो पास्को विरोधी आंदोलन को मजबूत करने में लगे हैं। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ साल पहले पास्को प्रबंधन के किराये के गुण्डों ने पास्को विरोधी कार्यकर्ता श्री दुला मंडल पर जानलेवा हमला किया था, जिसमे वह मारे गये थे। यह कारपोरेट सेक्टर के अपराधिक पतन के संकेत हैं कि कैसे यह जन विरोधी राज्य कारोबारियों के समर्थन मे उनका लालच पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

5 मार्च को पुलिस के 12 हथियारबंद दस्तों ने जिलाधीश तथा एस. पी. के नेतृत्व में गोविदपुर गांव में जबरदस्ती प्रवेश किया तथा पान बेलाओं के 25 खेतों को उजाड़ दिया जो कि स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है।

ओडिशा सरकार ने गांव में जबरदस्ती जमीन हथियाने की तैयारियां फिर से शुरू कर दी हैं। इससे पहले फरवरी के पहले सप्ताह में ग्रामीणों के तगड़े विरोध तथा दुनिया भर में लोगो की चिंताओं के कारण सरकार गोबिंदपुर गांव में प्रस्तावित संयंत्र स्थल के लिए जबरदस्ती जमीन हथियाने की गतिविधियों को रोकने पर बाध्य हो गई थी।

इस तथ्य के बावजूद कि पास्को के पास अभी तक संयंत्र के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं है ओडिशा सरकार स्टील प्लांट के लिए जबरदस्ती जमीन हथियाने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। 31 जनवरी 2011 को पर्यावरण तथा वनमंत्रालय द्वारा दी गयी पर्यावरणीय स्वीकृति को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा 30 मार्च 2012 को निलंबित (निरस्त) किया जा चुका है। मौजूदा समय में पास्को के पास सरकार के साथ किया गया सहमति ज्ञापन भी नहीं है। 22 जुलाई 2005 को जिस सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, वह 21 जुलाई 2010 को अपनी अवधि पूरी करके अतीत में समा चुका है अभी तक किसी नये सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं।

यहां तक कि गोबिदपुर की पाली सभा की बैठक, ढ़िकिया पंचायत की 18 अक्टूबर 2012 को हुई बैठक में 2000 से ज्यादा निवासियों ने वनाधिकार कानून 2006 के प्रावधानों के तहत सर्वसम्मति से पास्को संयंत्र के लिए जमीन का परिवर्तन किये जाने के खिलाफ मतदान किया जमीन हथियाने की चल रही प्रक्रिया पूरी तरह वनाधिकार कानून का जबरदस्त उल्लंघन है। इस क्षेत्र में वनभूमि पर अधिकारों को मान्यता नहीं दी है और इसके लिये जरूरी पाली सभा की सहमति को राज्य सरकार अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी है।

ऊपर की घटनाओं ने राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय कारोबारियों तथा तीसरी दुनिया के देशों के बीच आपराधिक गठजोड़ को बेनकाब कर दिया हैं जो कि अपने साम्राज्यवादी आकाओं के समर्थन मे लूटेरे बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों मे प्राकृतिक संसाधनों को देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

हम राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय निगमों तथा तीसरी दुनिया के देशों के इस कपटी गठजोड़ तथा बढ़ते हुए अपराधीकरण तथा लफंगई पर चिंतित है।

खून चुसने वाली इस नवउदारवादी अर्थव्यस्था ने अपने बराबर ही राज्य को हिसंक नवउदारवादी बना दिया है जिसने कारपोरेट सेक्टर के किराये के गुंडों से हाथ मिलाकर तथा पुलिस व फौज का बेजा इस्तेमाल कर किसानों तथा हाशिये पर रह रहे अन्य समुदायों को उनकी जमीन तथा आजीविका से जबरदस्ती बेदखल कर दिया है।

यह 21वीं सदी के आदिम संचय की भद्दी सच्चाई है। जहां हिसंक कब्जा-हरण के जरिये संचय समकालीन जमीन की लूट दुखदायी कहानी है।

हम पास्को प्रतिरोध संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं की हत्या तथा इस कायराना हरकत की कड़ी भर्त्सना करते हैं तथा पास्को संयंत्र को रद्द करने की मांग करते हैं।

1 चितरंजन सिंहं - राष्ट्रीय सचिव पीयूसीएल
2 अशोक चौधरी -एन एफ एफ पीएफ डब्ल्यू
3 डॉ सुनीलम: किसान संघर्ष समिति
4 किरन शाहीन: डब्लू एम एस
5 आंनद स्वरूप् वर्मा: संपादक - समकालीन तीसरी दुनिया
6 के. के. नियोगी - ऑल इंडिया पलैट फॉरम फॉर लेबर राइटस
7 मंजू मोहन - हिंद मजदूर सभा
8 रोमा - एन एफ एफ पीएफ डब्लू
9 अनिल चौधरी - इंसाफ
10 इंशा मलिक - रीसर्च स्कौलर (जेनएनयू)
11 भूपेन सिंह - रीसर्च स्कौलर (जेनएनयू)
12 विजय प्रताप - सोसलिस्ट फ्रंट
13 मधुरेश - एनएपीएम
14 राजेन्द्र रवि - एनएपीएम
15 अन्ना खंडरें - समाजवादी पार्टी
16 पुतूल - यूवा भारत
17 पी. के. सुंदरम -सीनडीपी
18 प्रकाश कुमार रॉय - संपादक बरगढ ओआरजी
19 नयन ज्यांजि - क्रांतिकारी नौजवान सभा
20 विनोद सिंह - समाज्वादी जन परिषद
21 राखी सहगल - लेबर एक्टीविस्ट
22 गोपाल कृष्ण - सामाजिक कार्यकर्ता
23 ममतादास - पास्को प्रतिरोध सोलीडरट्री डेल्ही
24 असीत दास - पास्को प्रतिरोध सोलीडरट्री डेल्ही

छत्तीसगढ़

हादसे के लिए जिंदल जिम्मेदार

गुजरी 7 मार्च को रायगढ़ में दर्दनाक घटना हुई। काम के दौरान पांच मजदूरों पर धधकती राख की बरसात हुई। जब तक मलबे से उन्हें निकाला जाता, उनमें से चार दम तोड़ चुके थे। पांचवां मजदूर बुरी हालत में था, उसकी सांस भर चल रही थी। फिलहाल, उसके बचने के आसार नहीं दिखते। यह हादसा जिंदल के पावर प्लांट में हुआ। पेश है संघर्ष संवाद की यह रिपोर्ट:

तमनार तहसील के डोंगा महुआ स्थित जिंदल के कैप्टिव प्लांट में इन दिनों मरम्मत का काम चल रहा है। इसका ठेका जमुना कंस्ट्रशन कंपनी को दिया गया है। उस दिन इसके पांच मजदूर बायलर के नजदीक अपने काम पर जुटे हुए थे कि अचानक 45 फुट ऊंचे लेजर पाइप में धमाका हो गया। इस कारण बायलर से गर्मी से तपता डेढ टन से अधिक का मलबा उन मजदूरों पर जा गिरा। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि उनके भाग निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।

प्लांट में भगदड़ मच गयी। यह पता चलते ही कि वहां काम कर रहे मजदूर कहीं दिख नहीं रहे, मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। उसमें दबे पांचों मजदूर मिले। इनमें से चार की मौत हो चुकी थी और पांचवां मजदूर अंतिम सांस गिन रहा था। उसे फौरन जिंदल अस्पताल ले जाया गया।

इस हादसे ने औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। जमुना कंस्ट्रक्शन ने जिंदल कंपनी से प्लांट के रखरखाव का ठेका लिया। तो अब इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है- जिंदल या जमुना? बदकिस्मत मजदूर भले ही जमुना कंपनी की तरफ से काम कर रहे थे लेकिन काम तो आखिर जिंदल प्लांट में ही कर रहे थे। जमुना को ठेका तो आखिर ज़िंदल ने दिया था। जाहिर है कि मजदूरों की सुरक्षा की निगरानी का काम ज़िंदल कंपनी का था। यह अनदेखी क्यों की गयी कि ठेकेदार कंपनी ने अपने मजदूरों की सुरक्षा

को लेकर इतनी लापरवाही बरती। याद रहे कि मौत के चंगुल में फंसे मजदूरों के पास न तो हैलमेट था और ना ही जूते।

तो मुनाफे की लूट में कंपनियों को किसी की चिंता नहीं। अपने मजदूरों की भी नहीं। मजदूर उनके लिए औजार भर हैं। किराये के औजार सस्ते पड़ें तो उन्हीं को जुटाओ- झंझट से बचने के लिए ठेके पर काम कराओ। और ठेकेदार? वह अपने मजदूरों को जम कर चूसता है और उन्हें बंधुआ मजदूर सरीखा बना कर रखता है। यह उसके स्थाई मजदूर नहीं होते और न्यूनतम मजदूरी से लेकर चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रहते हैं। यहां आवाज़ उठाना अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठना होता है।

हादसे के शिकार हुए सभी मजदूर स्थानीय निवासी थे। इस खबर ने कि इलाके के पांच मजदूर हादसे की चपेट में आये हैं, आसपास के गांवों में गुस्सा भड़क उठा। देखते-देखते हजारों लोग प्लांट के गेट पर जमा

हो गये। पूरे दिन उन्होंने रास्ता रोके रखा और कंपनी के खिलाफ जम कर नारेबाजी की। बावजूद इसके कि 'कानून-व्यवस्था' को बनाये रखने के लिए भारी पुलिस बल और सरकारी अमला लोगों के जमा होते ही मुस्तैदी से पहुंच चुका था।

खैर, यह लोगों की एकजुटता का नतीजा रहा कि जिंदल प्रबंधन को कहना पड़ा कि दुर्घटना में मारे गये मजदूरों के परिजनों और घायल मजदूर को कंपनी एक्ट के तहत मुआवजा दिया जायेगा। अब यह वायदा कब पूरा होता है या उसमें भी अगर-मगर होती है और या कि मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है, यह देखना अभी बाकी है।

अभी कुछ दिन पहले भी डोंगा महुआ माइंस के गेट के सामने ऐसी ही दर्दनाक घटना हो चुकी है। एक स्थानीय मजदूर उस ट्रक के नीचे आ गया जो जिंदल प्लांट के लिए कोयला ढोने का काम करता था। उस दुर्घटना ने आसपास के ग्रामीणों को आक्रोशित कर दिया। गुस्से में आकर उन्होंने प्लांट में थोड़ी तोड़फोड़ और आगजनी भी की। इसी बिना पर जिंदल प्रबंधन ने यह रोना रोया कि उनका लाखों का नुकसान हुआ। उसे मजदूर के मारे जाने की चिंता नहीं थी।

थैली में इतनी ताकत होती है और यह उसी का करिश्मा है कि जिंदल को कटघरे में खड़ा करने के बजाय उन 20 लोगों पर मामला दर्ज कर दिया गया जिन्होंने माइंस के गेट पर भारी जमावड़े की अगुवाई की थी।

रायगढ़ में जिंदल का साम्राज्य है। भले ही नवीन जिंदल कांग्रेसी सांसद हैं लेकिन उससे पहले महाबली उद्योगपति हैं और संसदीय राजनीति विचार से पहले धनबल से चलती है। इसीलिए भले ही दिल्ली और रायपुर में कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे के खिलाफ तलवार भांजती दिखती हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपाई सरकार उनकी परम भक्त है। तो जाहिर है कि पुलिस-प्रशासन ज़िंदल की सेवा में तत्पर है। श्रम विभाग की क्या मजाल कि चूंचपड़ करे? सबकी बोलती बंद है और जिंदल कानून को ठेंगा दिखाने के लिए आजाद है। इससे पहले भी जिंदल कंपनी के खिलाफ न जाने कब से होहल्ला मचता रहा है। लेकिन कंपनी का बाल भी बांका नहीं हुआ उल्टे उसका दबदबा और गाढ़ा हो गया।

दरअसल, रमन सरकार को चमकता विकास चाहिए, राज्य की विकास दर में बढ़त चाहिए। इसके लिए जिंदल साहब हैं या उन जैसे दूसरे घाघ उद्योगपति हैं जो सरकार चलानेवालों को हांकने का काम करते हैं। सरकारों का बनना-पलटना बहुत कुछ उन्हीं की कृपा पर निर्भर होता है। जय हो लोकतंत्र की....

लेकिन कहना होगा कि रायगढ़ में जिंदल के खिलाफ थोड़ी सुस्त हुई लड़ाई एक बार फिर लगता है कि कमर कस रही है। कुछ ही दिनों के अंतराल में हुई दो दुर्घटनाओं के बाद बंधी हवा कुछ ऐसी ही है। वैसे, औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा का सवाल महज रायगढ़ या जिंदल के कारोबार तक सीमित नहीं है। यह पूरे छत्तीसगढ़ का हाल है और राज्य सरकार कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाने और राज्य में आसन जमा चुके उद्योगपतियों की सेहत का ख्याल रखने में मग्न है।

जिंदल, जंगल और जनाक्रोश: 2008 का पुलिस दमन नहीं भूलेंगे रायगढ़ के लोग

रायगढ़ में 5 जनवरी को काला दिवस मनाया गया। यह आयोजन 2009 से हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है ताकि 2008 में ग्रामीणों पर हुए पुलिसिया हमले की याद जिंदा रहे और उसके खिलाफ गुस्से की आग सुलगती रहे। जिंदल को ज़मीन न देने पर जन सुनवाई में आए लोग बर्बर पुलिसिया दमन के शिकार हुए जिसमें बत्तीस लोग बुरी तरह घायल हुए थे. पेश है रायगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट:

2008 को इसी दिन गारे, खम्हरिया, कुंवरीहा, कोसमपाली, सारसमाल, बुंपेमुरा, तमनार, लिबरा, सलिहाभाठा समेत दर्जनों गांव के लोगों के लिए, सूरज लालिमा की जगह कालिमा ले कर उदय हुआ था। उस दिन प्रशासन ने गारे-खम्हरिया कोयला खदान जिन्दल समूह को दिये जाने के प्रस्ताव को लेकर कोसाबाड़ी में जनसुनवाई का आयोजन किया था। उस आयोजन में ग्रामीणों से ज्यादा सशस्त्र पुलिस तैनात थी।

अनुसूची 5 के तहत आनेवाले क्षेत्र के आदिवासियों को नहीं पता था कि उनकी कृषि भूमि, नदी, जंगल और जीने का अधिकार छीन कर उन्हें विस्थापित करने की औपचारिकता के नाटक का नाम जन सुनवाई होता है। बताया गया था कि यह आयोजन उनकी रायशुमारी के लिए है। लेकिन भारी पुलिस बल, हार्न बजाती दमकल की गाड़ियां, एंबुलेंस समेत प्रशासनिक और जिन्दल के अधिकारियों तथा दलालों की चमचमाती गाड़ियों की धूल से ही गांव के लोग सकते में आ गये।

इस आयोजन में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ के कुछेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की थी। हिम्मत बंधायी थी कि अपनी बात रखने के लिए वे इसमें जरूर शामिल हों। परन्तु जैसे ही ग्रामीणों ने जनसुनवाई में जमीन छीने जाने की बात सुनी, उनके बीच गजब की एकता कायम हुई। उन्होंने अपनी जमीन किसी भी कीमत पर जिन्दल को नहीं देने तथा प्रशासन की इस एकपक्षीय कार्रवाई का भरपूर विरोध किया।

यहां यह भी बताना जरूरी है कि स्थानीय विधायक (जो बाद में मंत्री बने) सत्यानंद राठिया उस दिन इलाके से नदारद थे। वह रायगढ़ स्थित जिला पंचायत भवन में थे और वहीं से आयोजन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे और मोबाइल फोन के जरिये प्रशासनिक अधिकारियों को दिशानिर्देश दे रहे थे।

आयोजन से पहले ही जिन्दल को जमीन नहीं दिये जाने का प्रस्ताव ग्रामसभा प्रस्ताव पारित कर चुकी थी। तो भी जनसुनवाई का आयोजन हो रहा था। इस फर्जीवाड़े के लिए ग्रामीणों ने सरकारी नुमाइंदों को लताड़ा और ज़िंदल वापस जाओ का नारा लगाया तो बाहर से आये फौजफाटे के हाथ-पांव फूलने लगे। हालात काबू से बाहर होते देख जिन्दल के कर्मचारियों को पीछे से पथराव करने का निर्देश जारी हो गया। एक पत्थर जन सुनवाई में अपना विरोध दर्ज कर रहे स्थानीय किसान नेता डा. हरिहर पटेल की नाक से टकराया और वे बेहोश होकर गिर गये। यह देख कर ग्रामीण घबरा कर इधर-उधर भागने लगे। इनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी थे। कुछ अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी लेकर आये थे। पुलिस ने सबको दौड़ा-दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। यह सिलसिला कोई पौन घंटे तक चला। सैकड़ों की तादाद में महिला-पुरुष घायल हुए। सबसे ज्यादा 32 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिनमें डा. हरिहर पटेल की हालत बेहद नाजुक हो गयी।

यह झूठ बोला गया कि पथराव ग्रामीणों की ओर से हुआ। हालांकि इस भीषण लाठी चार्ज में केवल ग्रामीण घायल हुए जो जिन्दल कंपनी का विरोध कर रहे थे। जिन्दल प्रबंधन और प्रशासन के किसी कर्मचारी और अधिकारी को खरोंच तक नहीं लगी। इधर सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था और उधर एडीशनल कलेक्टर जन सुनवाई को दोबारा चालू करने के आदेश दे रहे थे। जबकि आयोजन स्थल पर कोई

ग्रामीण नहीं रह गया था। उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए जन सुनवाई को निरस्त करने का जबरदस्त विरोध किया, तब कहीं जाकर जन सुनवाई का नाटक रूका। एन.जी.टी. ने इसे बाद में रद्द कर दिया।

उस हादसे ने लोगों के दिलो दिमाग में शासन-प्रशासन और जिन्दल प्रबंधन की करतूत का कभी न भूलने वाला जख्म भरने का काम किया। लाठीचार्ज की जांच सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश में सीबीआई से कराने तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग हुई। पर आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

तब से हर साल 5 जनवरी को काला दिवस के रूप में याद करने की शुरूआत हुई। इस साल ग्राम गारे के लोगों ने डा. हरिहर पटेल के नेतृत्व में 3 जनवरी 2013 को ग्राम गारे के हुंकरा डिपा चौक से पदयात्रा शुरू की। जिन्दल कंपनी के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी जुटे और उन्होंने शासन-प्रशासन और जिंदल के खिलाफ जोशीले नारे बुलंद किये। गीत गाया कि गांव छोड़ब नाहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं... । पदयात्रा सबसे पहले सलिहाभांठा गांव पहुंची। फिर सारसमाल कोसमपाली से गुजरते हुए बासनपाली, गोड़ी, उसडोल, नया पारा पहुंची। प्रथम दिन की पदयात्रा शाम को तमनार स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची। पदयात्रा ने यहां रात का पड़ाव डाला।

4 जनवरी को पदयात्रा लिबरा, झरना होते हुए टपरंगा, उडकेल पहुंची। वहां जिन्दल और मोनेट कंपनी की मिलीभगत से खदान में चली गयी जमीन के मुद्दे को उठाते हुए ग्रामीणों ने पदयात्रा का समर्थन किया। इसके बाद पदयात्रा लमदरहा पहुंची।

5 जनवरी को सारस माल कोसम पाली के शाला प्रांगण में पदयात्रा दल पहुंचा। गांव के सभी पाराओं में पदयात्रा गयी। जिन्दल की कोयला खदान में ब्लास्टिंग से होनेवाले नुकसानों तथा इसकी शिकायत को अनसुना करने और ग्रामीणों के खिलाफ ताबड़तोड़ फर्जी मामले दर्ज किये जाने के सवाल पर चर्चा हुई। रायगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार शशिकान्त शर्मा ने कहा कि सरकार और उद्योगपति रायगढ़ को विकास के नाम पर खत्म करने की साजिश छोड़ दें। आदिवासी अब विकास और विनाश में अंतर समझ गये हैं। अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरकार को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए कि तमनार के मूल निवासी जिन्दा रहें, नहीं तो अब इस दमन के खिलाफ उठी आग दावानल में बदल जायेगी। वो दिन दूर नहीं जब उद्योगों द्वारा लगातार स्थानीय नेताओं के ऊपर हो रहे हमलों का जवाब भी हमलों से हो सकता है। खदानों पर लोगों का कब्जा भी हो सकता है। आदिवासी समाज ज्यादा दिनों तक संसाधनों की लूट का खेल नहीं होने देगा।

पदयात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल की फोटो लगे बैनर थे जिसने आगे की लड़ाई के लिए ऊर्जा भरने का काम किया। रमेश अग्रवाल ज़िंदल के गुंडों की गोलियां खा चुके हैं और इलाज करवा रहे हैं। लेकिन संघर्ष का उनका जज्बा जस का तस बरकरार है। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद इस जज्बे की गर्माहट बनी रही।

पदयात्रा के दौरान उठायी गयी प्रमुख मांगें-

- खम्हरीया-गारे लाठीचार्ज में दोषियों को सजा दी जाये।
- रायगढ़ जिले में जितनी भी कोयला खदानें हैं, उनकी सुप्रीमकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जाये।
- तमनार में अब खदानों, पावर प्लांट का विस्तार नहीं किया जाये। जितने भू अधिग्रहण किये जा रहे हैं, उन पर रोक लगायी जाये। फर्जी जन सुनवाई रोकी जाये।
- सरकार अगर निजी कंपनियों को नहीं रोकती तो अब ग्रामीण अपना स्वयं कोयला खदान बनायेंगे।
- पूरे तमनार ब्लाक को पेसा क्षेत्र घोषित कर ग्रामसभा को मजबूती प्रदान की जाये। स्थानीय संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का सुनिश्चित किया जाये।
- ग्रामीणों पर लगे फर्जी मामले वापस लिये जायें।

कारपोरेट लूट- पुलिसिया दमन के विरोध में दुर्ग में दस्तक: किसान-मजदूर-आदिवासियों ने किया प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में आज तथाकथित विकास के नाम पर आदिवासियों के जंगल-जमीन-नदियों को आँख मूंदकर राज्य सरकार बेच रही है। सिर्फ कारपोरेट को लाभ पहुँचाने के लिये लाखों आदिवासियों के जीवन को दाँव पर लगाया जा रहा है। अकेले जांजगीर चांपा जिले में 34 थर्मल पॉवर प्लांट लगाये जाने हैं। जिससे पूरा जिला, गांव, जनजीवन, पशु-पक्षी सभी समाप्त हो जायेंगे, तो ऐसे विकास का क्या मतलब है। चौतरफा यही सीन सामने है कि कंपनियां अपनी मर्ज़ी की मालिक़ हैं और सरकार पर हावी हैं। उनके ख़िलाफ़ मुंह खोलनेवालों पर फ़र्ज़ी मुक़दमे हैं और हमले हैं, लड़ाकू ताक़तों की एकता को तोड़ने के तरह-तरह के हथकंडे हैं। इन हालातों के विरोध में 15 जनवरी को भिलाई-सुपेला चौक में एकदिवसीय धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पेश है यहाँ पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के अगुआकार कलादास डेहरिया की यह रिपोर्ट:

कंपनियों की जागारी नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा है!
लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी!!

इस उद्घोष के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर-दुर्ग से आए किसानों, मजदूरों आदिवासियों, दलितों, स्त्री-पुरूषों ने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी दी कि वह कंपनियों की दलाली करना और प्रदेश की जनता पर जुल्म ढाना बंद करें। सयुंक्त ट्रेड यूनियन मंच द्वारा आयोजित इस धरने में हजारों की संख्या में आम जनता 15 जनवरी को भिलाई-सुपेला चौक में इकट्ठा हुई और एकदिवसीय धरना दिया ।

आज छत्तीसगढ़ में लूट और दमन का राज कायम हो गया है। लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना से अखबार पटे रहते हैं। 1 रूपये किलो का चावल देकर रमन सिंह हुंकार भरता है कि हम विकास कर रहे हैं,? परन्तु वही गांव के बुजर्ग अच्छी कहावत में कहते हैं, सब्बल की चोरी और सुई का दान, वाह रमन तू कितना बईमान। पूरे छत्तीसगढ़ को पुलिस फोर्स की छावनी बनाया जा रहा है। शिक्षाकर्मियों को लगातार बर्खास्त किया जा रहा है। अभी तक 19 शिक्षाकर्मियों की सदमें से मौत हो गई है, रमन सिंह हिटलर से भी अधिक तानाशाह बनने की ओर लगातार अग्रसर है। सरकार अपने काली करतुतों को दबाने के लिये भारत, पाकिस्तान के झगड़े को आगे कर रही है। चाहे केन्द्र की सरकार हो या चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही लोकतंत्र को लहुलुहान कर साम्राज्यवादी, पूंजीवादी नीतियों के समक्ष घुटने टेक चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के औघोगिक क्षेत्रों में मजदूरों का हाल बेहाल है। 12- 12 घंटे की कार्यवधि धड़ल्ले से चल रही है। वहीं पर छत्तीसगढ़ की अधिकतर नदियां बेची जा चुकी हैं, शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, अरपा आदि सभी नदियों को बांध बनाकर पानी को उघोगों को दिया जा रहा है। किसान का खेत सुखकर फट जाने की स्थिति में है। पक्ष हो या विपक्ष अपनी राजनैतिक रोटी सेंकने के लिये जनता को गुमराह करने के तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं। उदाहरण स्वरूप चना बांटना, गोल्लर बांटना, गाय बांटना, जूता बांटना इत्यादि। इस तरह छत्तीसगढ़ में आज मेहनतकश जनता रोज-बरोज मौत और जिंदगी से जुझ रही है। वही पर फुटकर व्यापारी एफडीआई के चलते अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं।

धरने को बीजेन्द्र तिवारी, जे, पी, नायर राष्ट्रीय सचिव एक्टू, नव जवान लोकमंच के गोरखनाथ सिंह, सुरेन्द्र मोहंती, भाकपा माले के सौरा यादव, मृदुल सेन गुत्त, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता समिति के बंशी साहू, कौशल साहू, महिला मुक्ति मोर्चा के पिंकी वर्मा, नीरा डेहरिया ने संबोधित किया. अंत में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

झारखण्ड

झारखण्ड : जल, जंगल, जमीन, खनिज की लूट के विरोध में जनअभियान तेज

विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा के आहवान पर 10 मार्च 2013 से आरम्भ हो कर जन अभियान विभिन्न् जिलों मे प्रचार - प्रसार करते हुए 17 मार्च को रांची पहुँचा। शहीद बीर बिरसा समाधि स्थल पर विभिन्न् जिलों से आये जत्थों ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर संकल्प लिया कि झारखण्ड एवं देश में प्रचलित विनाशकारी विकासनीति को बंद करेगे और किसी भी कीमत पर जमीन नही देगें, गांव के गणराज्य को मजबूत करेगें। पूरा समाधि स्थल गगनभेदी नारो से गूंजता रहा। विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा के बैनर तले तमाम आन्दोलनकारी नारा लगाते हुए अल्बर्ट एक्का चौक होते सत्यभारती सभागार पहुंचे।

कन्वेंशन में मुख्य रूप से वक्ताओं ने कहा कि पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है। नदी - झरना, खेत-खान, जंगल-पहाड़, सागर-आकाश, हवा-रोशनी सभी पर पूंजीपति कब्जा करते जा रहे हैं। किसानों, मजदूरों तथा अन्य सभी मेहनतकशों के भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ, पहचान, रोजगार, आत्मसम्मान पर अभूतपूर्व हमला हो रहा है। जो अंचल जितना ज्यादा संसाधनों से भरा - पूरा है, वहां उतना ही बड़ा हमला है। जो समाज, जो जमात जितना ज्यादा आत्मनिर्भर है, वहां उतना ही ज्यादा तेज हमला है। पूंजी और सत्ता की अमिट प्यास के लिए जिन्दगियों की बलि चढ़ायी जा रही है।

हमारे अपने भरे- पूरे, हरे- भरे झारखंड में भी काफी तीखा हमला हो रहा है। हम सब इस हमले के शिकार है। किन्तु मेहनतकश मन तो कभी हार नही मानता। हिम्मत की आखिरी सांस तक जुझता है। विनाश और मौत के बीच भी जिन्दगी धड़कती ही जाती है। यही जिजीविया संघर्ष के रूप में झारखंड में गूंज रही है। जगह-जगह लड़ाईयां है। कहीं लोग जंगल बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कहीं लोग जबरन घुस रहें कारखानों को रोक रहे हैं, अपने खेत बचा रहें हैं। कहीं लोग विस्थापन की वाजिब भरपाई मांग रहें हैं।

अपनी जमीन पर खड़े परियोजनाओं पर अपना दावा ठोक रहें है। कहीं लोग अपने गांव - समाज की जमीन में मौजूद खनिज पर अपना अधिकार जता रहें है। वे सरकार को चुनौती देते हुए, उसका ही गणित उसे समझा रहें है- 'अपनी रॉयल्टी हम से लो, हमारे खान हमारे हाथ करो, पूंजीपतियों को खनन से बाहर करो'। लोग सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जैसे

सही कानूनों में छेड़छाड़ के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहें हैं। गांव के हाथ से गैरमजरूआ जमीन छीनने की नौकरशाही की साजिशों को पूरी ताकत से रोक रहे हैं।

ग्राम सभा की स्वायत्तता, गांव समाज की निर्णयकता की अलख जगा रहें हैं। तमाम एमओयू को रद्द करने की मांग कर रहें हैं। ये सारी लड़ाईयां पूरे न्यायबोध और अन्याय पर भी पुख्ता प्रश्न खड़े कर रही हैं। लोग झारखण्ड को हासिल विशेष संवैधानिक- वैधानिक प्रावधानों को पूरा का पूरा बहाल करने की मांग कर रहें हैं। ऐसी ही और भी अनेक लड़ाईयां हैं। किन्तु सरकार बदलना-सुधरना नही चाहती, जनाकांक्षा को समझना-मानना नहीं चाहती। अपने लूटपरस्त- अमीरपरस्त इरादों को हर हाल में पूरा करना चाहती है। वक्त गवाह है कि चुनावी राजनीति की कमोबेशी सारी मौजूदा ताकतें शासन में आने पर पूंजीपतियों की दलाली और जनता से दुश्मनी की राह ही चलती हैं। इस हालात में हमें संघर्षों को ज्यादा एकजुट, ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हमें मौजूदा विकास नीति के मुकाबले वैकल्पिक जनपक्षीय नवनिर्माण की चेतना फैलानी है।

अपने संघर्षों की स्थानीयता और स्वायत्तता रखते हुए भी अन्य संघर्षों से अंतरंग एकजुटता को समझते हुए, बढ़ते हुए एक वैकल्पिक व्यापक राजनैतिक समझ और ताकत बनानी है। तभी आगे चलकर मौजूदा जनविरोधी राजनीति को बेदखल किया जा सकेगा। तभी सच्चे अर्थ में झारखंड का नवनिर्माण संभव होगा। विशेष अभियान के तहत लड़ाई के

अलग-अलग इलाकों से, अपने खास मुद्दों और नारों पर, अपनी तय तारीख से यात्राओं की शुरूआत हो रही है। सचेत जननेताओं, कर्मठ कार्यकर्ताओं, सच्चे संघर्षशीलों के जत्थे जनचेतना जगाते अपनी - अपनी राहों पर आगे बढ़ते जायेगें।

यात्रा समापन अवसर पर एक दिवसीय कन्वेंशन सम्पन्न हुआ। इस कन्वेंशन का आरंभ जनगीतों के द्वारा हुआ जिसमें पूर्वी एवं सिंहभूम, सरायकेला, रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारों, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा, पलामू आदि जिलों से आन्दोलनकारी शामिल हुए। जंल - जगंल - जमीन और खनिज को बचाने की लड़ाई में सिंगूर , कलिंगनगर नन्दीग्राम, काठीकुंड , नगड़ी इत्यादी के संघर्षों में शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। कन्वेंशन में उपस्थित आन्दोलनकारियों के बीच भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक, विस्थापन विरोधी आन्दोलन में बिखराव के कारण और समाधान तथा वैकल्पिक विकास नीति पर अलग- अलग प्रस्तावित दस्तावेज अरविंद अंजुम, स्टेन सामी, शंभू महतों और मिथिलेश दांगी ने विचार के लिए प्रस्तुत किये। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर कन्वेंशन में प्रस्ताव पारित किये गये हैं।

कन्वेंशन में मुख्य रूप से मदन मोहन, जसवा कच्छप, मंथन, कुमार चंद मार्डी, बिरसा हेम्ब्रम, बाबूधन मुर्म, जेवियर कुजूर, सियाशरण शर्मा, चंद्रभूषण चौधरी, रोबिन समाजपति, विनय कुमार राजकुमार गोराई, दिलीप आदि शामिल थे।

आप आंदोलन में हैं, तो व्यक्तिगत मुकदमों के लिए तैयार रहें : दयामनी बारला

जेल से छूटने के बाद दयामनी बारला से आज दिल्ली में मुलाकात हुई. कारपोरेट-सरकारी गठजोड़ आज जिस शातिर तरीके से उन सबकी आवाज़ चुप कराने में लगा है जो अपने आस-पास लोकतंत्र और लोगों के हक को लेकर बोलते हैं, इसकी ताज़ा मिसाल हैं दयामनी बारला. डॉ. सुनीलम की रिहाई के लिए 12 जनवरी को मुलताई में हुई जन-सुनवाई से होकर आईं दयामनी जी ने देश भर में इस तरह कार्यकर्ताओं को मुकदमों में डालकर उनकी हिम्मत तोड़ने के चलन पर हमें आगाह किया. हम यह बातचीत आपसे साझा कर रहे हैं:

आपकी गिरफ्तारी देश भर में चल रहे जनांदोलनों के प्रति सरकार के रवैये को दर्शाती है. इस तरह लोगों को व्यक्तिगत रूप से फर्जी केसों में फंसाने से, जनांदोलन कैसे निपटेगें?

आज हम देख रहे हैं कि सरकारों के एजेण्डे में जनता से सरोकार रखने वाले सवाल खत्म हो रहे हैं. आज सरकारें जल-जंगल-जमीन, मानवाधिकार के सवाल, सामुदायिक अधिकार के सवालों को जनता के सवाल नहीं मानती हैं. सरकार के एजेण्डे में साफ है कि कैसे कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाये? यही कारण है कि आज सरकार पूरे देश में जहाँ भी प्राकृतिक संसाधन है उन्हें कारपोरेट घरानों को सौंपने में लगी हुई है. इस लूट का जो भी विरोध कर रहा है उन पर तमाम तरह से हमले किये जा रहे हैं जैसे- व्यक्तिगत फर्जी केस थोपना.

मैं इसे व्यक्तिगत केस नहीं कह सकती क्योंकि सरकार उस व्यक्ति के माध्यम से जनांदोलनों को यह चेतावनी देना चाहती है कि यदि आप ने भी हक -अधिकारों की बात की तो आप के साथ भी वैसा ही सुलूक किया जायेगा. इसे मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह व्यक्तिगत केस नहीं बल्कि सरकार का एक हथकंडा है जो समुदाय के हाथों से संसाधनों को छीन कर कारपोरेट के हाथों में दे रहा है.

यह चलन आज देश के हर आंदोलनों को कुचलने के औजार के रूप में दिख रहा है. चाहे वह कुडनकुलम हो, जैतापुर हो, नगड़ी हो या फिर देश का कोई भी जनांदोलन हो सभी जगह पर यह चक्र चल रहा है. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर कारपोरेट घरानों के इर्दगिर्द घुमने वाली ताकतें हों. इन ताकतों का गठजोड़ विश्व घरानों की ताकतों के साथ है. इससे निपटने के लिये जरुरी है कि देश में जितने भी हक-अधिकारों, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण में लगे संगठनों और व्यक्तियों को एक मंच पर आना होगा तभी देश में एक सशक्त आंदोलन खड़ा होगा और हम इन हालातों से निपट पायेगें.

राज्य और कारपोरेट के गठजोड़ के साथ ही अदालतों का शासकवर्गीय रुख भी सामने आया है. इससे जमीन पर चल रहे आंदोलनों पर क्या असर पड़ेगा ?

देखिये, इसका जनांदोलनों पर सीधा असर पड़ेगा. पहले राज सत्ता और कारपोरेट जहां दुश्मन के रूप

में दिख रहे थे वहीं आज न्यायालय का जो शासकवर्गीय चरित्र सामने आ रहा है. यह लोकतंत्र के लिये बहुत ही हानिकारक है.

इससे जनता के अधिकारों पर इन ताकतों का वर्चस्व बढ़ेगा, हक-अधिकार की बात करने वालों पर दमन बढ़ेगा और न्यायालय की कार्यवाही पर लोगों का भरोसा कम होता जायेगा.

जल-जंगल-जमीन के लिये चल रहे आंदोलनों के लिये आज सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है ?

पहले केंद्र या राज्य सरकारों के विरोध में आंदोलन होते थे और हमें आंशिक सफलता भी मिल जाया करती थी. जैसे- कोयलकारो, नेतरहाट फायरिंग रेज इत्यादि. इन आंदोलनों में क्षेत्रीय जनता सीधा विरोध में खड़ा हो जाती थी परंतु आज आंदोलन में लगे लोगों को कारपोरेट घराने साम, दाम, दंड, भेद के स्तर पर निपट रहे हैं। आज कारपोरेट घरानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक व्यक्ति को पकड़ कर उन्हें व्यक्तियों में बाँट कर ग्रामीण क्षेत्रों में घुस रहे हैं। अब कम्पनी सीधे जमीन नहीं खरीद रही है बल्कि उनके दलाल टुकड़ों में जमीन खरीद रहें हैं। आज हम देख रहे हैं कि सामूहिक विरोध की ताकत कमजोर हो रही है, कारपोरेट घरानें आज सरकारों के साथ समझौते कर रहें हैं कि सरकार जन कल्याणकारी की भूमिका अब कम्पनियों को दे दे, जहाँ कम्पनियों को जमीनें चाहिये वहा पर एनजीओ उनकी मदद कर रहें हैं और नक्सलवाद के खात्मे के नाम पर गावों में आर्म फ़ोर्स भेजी जा रही जो नक्सलवाद के नाम पर आम लोगों का उत्पीड़िन कर रही है इससे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं.

अभी देश में कारपोरेट घरानों के विरोध में तो आंदोलन खड़े हो रहे हैं परंतु राज्य दमन के विरोध में सशक्त आंदोलन नहीं उठ रहा है.

आप झारखण्ड के वर्तमान आदिवासी आंदोलन को कैसे देखती हैं ?

लगातार आंदोलनों में सक्रिय रहते हुये जो अनुभव मुझे मिले हैं उनके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि झारखण्ड भले ही आदिवासी बहुल क्षेत्र हो परंतु आज यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिये जो आंदोलन जारी हैं उनमें सभी लोगों को शामिल होना होगा तभी हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा पायेगें.
आदिवासी आंदोलन अकेले आज उस मुकाम तक पहुँचने कि स्थिति में नहीं है. आज हम विभिन्नता में एकता की बात कर रहे हैं. हमने देखा है की राज्य में अब तक आठ आदिवासी मुख्यमंत्री बने परंतु उन्होंने कारपोरेट की दलाली के अलावा कोई कदम नहीं उठाया.
आज सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि जो भी आदिवासी संगठन या आदिवासी मंच है उन्हें अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना होगा तभी हम झारखण्ड के सपनों को साकार कर सकते हैं.

देश के हर जिले में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कोई विकल्प नहीं दिखता. आप क्या सोचती हैं ?

देखिये, आज देश का राजनीतिक ढांचा जन मुद्दों पर आधारित नहीं रहा है. आज व्यक्तिगत फायदे के लिये राजनीति की जा रही है. पूरी चुनाव की प्रक्रिया भ्रष्टाचार के खेल में चल रही है. ऐसी स्थिति में जनांदोलनों को एक विकल्प तलाशने की जरूरत है जो भारत की जनता के हक-अधिकारों का संरक्षण करे ताकि उनका जल-जंगल-जमीन पर हक कायम रह सके तभी भारत का असली विकास होगा.

आज देश में हजारों कम्पनियां निवेश के नाम पर आ गई हैं. इन कम्पनियों ने भारत के संविधान को ही कब्जे में ले लिया है. अब यह आवश्यक हो गया है कि एक ताकत बनाकर इनको टक्कर दी जाये.

हिमाचल प्रदेश

मंत्री जी, देश की वनभूमि पर कारपोरेट का जंगलराज कायम हो गया है !

देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां या तो जंगल बचाने वाले आदिवासी बचेंगे, या जंगलराज लाने वाले कारपोरेट. देश का क़ानून और संविधान कारपोरेट हितों का अभयारण्य बन गया है. वनभूमि-हस्तांतरण को रोकने के लिए 2006 में क़ानून तो बना, लेकिन जब इसे लागू करने के लिए ज़रूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति कंपनियों के आगे घुटने टेक देती हो तो हिमाचल हो या ओडीशा, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, जंगल की ज़मीन कब तक बच पाएगी? दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए रेणुका बाँध हिमाचल की ज़िंदगियाँ तबाह करने पर आमादा है तो पोस्को में वनभूमि के कब्जे के लिए सरकार ने दस पलटनें लगा रखी हैं. जंगल और इंसान के हकों के लिए दशकों से जूझ रहे समूहों ने यह गुहार केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री से की है.

संघर्ष संवाद आपसे यह चिट्ठी इस उम्मीद से साझा कर रहा कि क़ानून और राजनीति के बियावान में आम लोगों की बात मजबूत हो:

सेवा में,
सुश्री जयंती नटराजन,
केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मन्त्री,
भारत सरकार।

विषयः- देश भर में वन अधिकार कानून - 2006 की अवहेलना कर के गैर कानूनी तरीके से वन हस्तांतरण पर रोक व कार्यवाही करने की बाबत

मंत्री जी,

देश भर में वनाधिकार कानून - 2006 की अवहेलना कर के गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकारें विभिन्न तथाकथित विकास परियोजनाओं के लिए वन हस्तांतरण करती जा रही हैं। समय-समय पर इस तरह की अवहेलनाएं देश भर में होती रही हैं, जिस पर आदिवासी मंत्रालय ने गम्भीर आपत्ति भी उठाई है और इस पर दिशा निर्देश व स्पष्टीकरण पत्र जारी किया। हाल ही में ओडीशा के नियामगिरी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय ने प्रस्थापना दी है कि वनाधिकार देने की शक्ति केवल ग्राम सभा के पास है जबकि दूसरी कमेटियों की भूमिका केवल शिकायत निवारण की है, इस पर भारत सरकार अपना मत दे।

हाल ही में आदिवासी मंत्री ने आपको पत्र लिख कर अपनी चिन्ता जाहिर की है। राज्य सरकारें तथा दूसरी संस्थांए भी इस कानून की अवहेलना कर के अपने कार्य कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर हिमाचल विद्युत निगम ने रेणुका बांध परियोजना के लिए ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र व अपने वनाधिकार निगम को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित करने का छपा फार्म 25 ग्राम सभाओं में बांटा व 2 अक्तूबर 2012 की ग्राम सभा बैठक में पारित करने का दबाव डाला और प्रलोभन भी दिया जबकि वन अधिकार कानून के तहत वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया अभी हिमाचल में अन्य वन निवासियों के लिए शुरु भी नहीं हुई है। हिमाचल सरकार ने 27-03-2012 को पत्र जारी करके मंडल, जिला व राज्य कमेटियों को गठित करने का आदेश दिया है। निगम ने अपने आप फार्म ड्राफ्ट करके खाली फार्म ग्राम सभाओं को भेजा। जिलाधीश सिरमौर ने झूठा सर्टीफिकेट दिनांक 12-03-2012 को जारी किया जिसमें दावा किया गया कि रेणुका बांध क्षेत्र में वन अधिकार इस कानून के तहत निस्तारित कर दिए गए हैं।

मामला यह नहीं है कि प्रस्ताव विरोध या हक में पारित हों। असल मसला तो प्रक्रिया का है कि इस तरह वन अधिकार क्या निगम को हस्तांतरित हो सकते हैं। जबकि कानून के हिसाब से यह प्रस्ताव की प्रक्रिया ही अवैध है। इसी तरह जिलाधीश द्वारा जारी किया गया झूठा प्रमाण पत्र संवैधानिक अवहेलना के दायरे में आता है। सच्चाई यह है कि रेणुका बांध के

लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस वन और पर्यावरण मंत्रालय से अभी तक नहीं मिल पाई है। हिमाचल विद्युत निगम व प्रदेश सरकार इस तरह के झूठे कागजात व प्रमाण पत्र इकट्ठे करके वन मंजूरी हासिल करना चाहते हैं।

इस तरह के मामले पूरे देश में घटित हो रहे हैं। बहुत से वन आश्रित समुदायों को उनके संवैधानिक वन अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। इस समस्या पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और इसके लिए कोई व्यवस्थित प्रावधान होने चाहिए। परियोजनाओं के मालिक व राज्य सरकारें वन भूमि को इस तरह गलत तरीके से हस्तांतरित कर रही हैं। इस तरह वन निवासियों के लिए वन अधिकार का कोई अर्थ ही न रह जाएगा। इसे रोकने के लिए आपके मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।

झूठे प्रमाणपत्र और ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने की प्रक्रिया अवैध है जो वन अधिकार कानून 2006 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए हम आपसे मांग कर रहे हैं कि उन तमाम अधिकारियों को वन अधिकार कानून के तहत वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया में अवरोध डालने पर उक्त कानून की धारा 7 के तहत सजा दी जाए।

गुमान सिंह
हिमालय नीति अभियान

पूरन चंद
सचिव आजीविका बचाओ संघर्ष समिति रेणुका

किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला

जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर एसडीएम कोर्ट ने 19 मार्च को जेपी कंपनी की ओर से बनाए गए 1000 मेगावॉट के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट के बांध के आधे निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए हैं। बांध पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। एसडीएम विवेक चौहान की अदालत ने प्रोजेक्ट के कड़छम स्थित बांध को अवैध पाया है। अदालत ने कंपनी को बांध तोड़ने के अलावा 5.19 लाख रुपए का जुर्माना देने के आदेश भी दिए हैं।

ज्ञात रहे कि राजस्व विभाग ने दिसंबर 2010 में कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट भावानगर में मामला दायर कर बांध के निर्माण को अवैध बताया था।

बांध का आधे से ज्यादा हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया है। कंपनी ने साढ़े 12 बीघा भूमि में अवैध बांध निर्माण किया, उसके लिए न तो लीज ली गई है और न ही इसके लिए आवेदन किया गया है। ऐसे मे एसडीएम कोर्ट ने जेपी कंपनी के बांध के विवादित हिस्से को अवैध घोषित कर तोड़ने के आदेश दिए हैं। बांध सतलुज नदी में बना है।

अनुमति से ज्यादा बिजली पैदा की

कंपनी को 1000 मेगावॉट तक के प्रोजेक्ट निर्माण को अनुमति दी गई थी, जबकि इसमें करीब 1200 मेगावॉट तक बिजली पैदा हो रही है।

स्थानीय लोग शुरू से कर रहे थे विरोध

- लोग लगातार बांध के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे।
- कंपनी लोगों को उचित मुआवजा नहीं दे रही थी। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था।
- क्षेत्र में पानी का संकट हो गया था।

बिहार

एक बूँद पानी भी अभिजीत ग्रुप के प्लांट को नहीं देंगे: किसानों का ऐलान

बिहार के बाँका जिले में चन्दन नदी पर लक्ष्मीपुर (बौंसी प्रखण्ड) में केवल सिंचाई कार्य के लिए करीब 40 वर्ष पूर्व चन्दन बाँध का निर्माण किया गया था. बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के पत्रांक 885 दिनांक 23.06.2011 अभिजीत ग्रुप (ताप विद्युत गृह) को दिये जाने का लाभान्वित किसानों द्वारा जबर्दस्त विरोध किया जा रहा है। 'चन्दन डैम बचाओ संघर्ष मोर्चा' के बैनर तले आंदोलन जारी है। गुजरी 2 जनवरी 2013 को जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) द्वारा एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया. डा. संदीप पाण्डेय, बिहार के जाने माने पर्यावरण विद एवं जल विशेषज्ञ श्री रणजीव कुमार, जल संसाधन विभाग बिहार के ही सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता ई0 विनय शर्मा, प्रसार भारती; दूरदर्शन के संवाददाता पं0 नन्द कुमार तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री महेन्द्र यादव की पाँच सदस्यो की जूरी के सामने 48 किसानों ने अपनी बातों को रखते हुए एक स्वर में कहा कि अभिजीत ग्रुप के थर्मल प्लांट को एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा. पेश है एनएपीएम की यह रिपोर्ट:

अभिजीत ग्रुप द्वारा स्थापित किये जा रहे ताप विद्युत गृह को चन्दन डैम का पानी देने से एक ओर जहां बिहार के बाँका एवं भागलपुर तथा झारखण्ड के गोड्डा जिले के लगभग 16000 हेक्टेयर उपजाऊ सिचिंत जमीन के बजंर हो जाने की प्रबल सम्भावना है वहीं दूसरी ओर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कुख्यात बाहुबालियों के सहयोग से गरीब-गुरबा, कमजोर वर्ग के किसानों की जमीन औने-पौने दाम पर कम्पनी जबरदस्ती और जालसाजी कर कब्जा कर लेने की जानकारी होने पर एक जनाक्रोश आम तौर पर उत्पन्न हो रहा है। इस जनाक्रोश की भावना को समझने, उसके वास्तविक कारण को जानने तथा उसके जनपक्षी समाधान के लिए सुझाव/मांगपत्र बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बौसी-लक्ष्मीपुर पथ में स्थित मनियारपुर मैदान में मोर्चा द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2013 को एक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सुनवाई मैगसेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकत्ता डा. संदीप पाण्डेय, बिहार के जाने माने पर्यावरण विद एवं जल विशेषज्ञ श्री रणजीव कुमार, जल संसाधन विभाग बिहार के ही सेवानिवृत

कार्यपालक अभियंता ई0 विनय शर्मा, प्रसार भारती; दूरदर्शन के संवाददाता पं0 नन्द कुमार तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेन्द्र यादव द्वारा की गयी।

इस जनसुनवाई के आयोजनकर्ताओं द्वारा बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग, भू एवं राजस्व विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग के माननीय मंत्रीगणों के साथ-साथ अभिजीत ग्रुप के स्थानीय प्रबन्धक को भी अपना-अपना पक्ष रखने के लिए आमन्त्रित किया गया था। जनसुनवाई कार्यक्रम को निर्विधन सम्पन्न करने के लिए एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतू जिला प्रशासन बाँका व पुलिस प्रशासन बाँका को भी अग्रिम सूचना दे दी गयी थी।

चन्दन बाँध

1968 में बिहार सरकार ने इस क्षेत्र में पड़नेवाले शर्तिया-सुखाड़ से किसानों को निजात दिलाने के लिए चंदन नदी सिंचाई परियोजना का निर्माण करवाया था। इस परियोजना से बांका, भागलपुर और गोड्डा (झारखंड) जिलों के किसानों को सुखाड़ से राहत मिली। पर, इस सिंचाई परियोजना का पानी अभिजीत ग्रुप द्वारा स्थापित किये जा रहे थर्मल बिजली संयंत्र को दिये जाने पर स्थानीय किसानों में भारी रोष है। किसान चंदन नदी और सिंचाई परियोजना के पानी पर अपना पहला हक मानते हैं। पिछले तीन-चार दशकों के दौरान मरम्मत आदि के अभाव में इस परियोजना की सिंचन क्षमता में काफी ह्रास हुआ है। इस कारण किसान किसी भी कीमत पर चंदन परियोजना का पानी बिजली संयंत्र को देने का प्रबल विरोध कर रहे हैं।

बिजली संयंत्र को पानी उपलब्ध करवाने के लिए कम्पनी द्वारा जलाशय क्षेत्र में इनटेक वेल के निर्माण एवं स्पीलवे ऊँचा करने जैसे सरीखे कार्य करने के कारण किसान आशंकित हैं कि सिंचाई का सारा पानी कम्पनी ले लेगी, डूब क्षेत्र बढ़ेगा, जलाशय के बाहरी इलाके में कृत्रिम बाढ़ का खतरा उत्पन्न होगा और पूरे नदी घाटी क्षेत्र में भूमिगत जल का संकट गहरायेगा। सच के करीब दिखती किसानों की इन आंशकाओं के कारण विविध पारस्थितिकी वाले इस क्षेत्र में पारस्थितिकी असंतुलन के साथ-साथ इस क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जायेगी। इस इलाके में भूमि बंजरीकरण का खतरा भी बढ़ जायेगा।

मध्य प्रदेश

मुलताई गोलीकांड के 15 साल पूरे : किसान लाचार, इंसाफ का इंतजार

मध्य प्रदेश के मुलताई में गुजरी 12 जनवरी को उसी जिला कोर्ट के सामने जिसमें 19 अक्टूबर 2012 को डा0 सुनीलम् और उनके साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, देश भर के जन आंदोलनों के साथी, शिक्षाविद, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने किसान संघर्ष समिति के आंदोलन को समर्थन देने मुलताई पहुचें। पेश है किसान संघर्ष समिति की यह विज्ञप्ति:

12 जनवरी 1998 को मुलताई में किसानों के ऊपर हुए गोलीकांड में 24 किसान मारे गए। 15जनवरी को उस घटना के 15 साल पूरे हुए। सवाल किसानों के जीविका के संघर्ष को लेकर था और शासन के द्वारा उनपर हमला किया गया,जिसमे लोगों की मौत हुई। आज भी वह सवाल मौजूद है, देश में किसान और मजदूर वर्ग आज भी जीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं और नवउदारवाद के माहौल में नई पूंजीवादी ताकतें राज्य के साथ मिलकर और तेज हमला कर रही हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, गोली चलाई जा रही है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। डॉ सुनीलम, शेषराव सूर्यवंशी परमंडल, प्रहलाद अग्रवाल को भी इसी प्रक्रिया के तहत मुलताई गोलीकांड मामले में उम्रकैद की सजा हुई है।

किसान संघर्ष समिति का 15 वां राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर सुबह से ही परमंडल गांव में देश के जनांदोलनों के समाजकर्मियों ने शहीद किसानों के स्मृति स्तंभ पर श्रद्धासुमन चढ़ाये जा रहे थे। इसके बाद मुलताई में शहीद स्तंभ पर भी श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के सपनों को साकार करने का आगाज़ दिया। शहीद स्तंभ से रैली के रुप में हजारों की संख्या में लोग मुलताई मैदान में पहुंचे। सर्व प्रथम शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। किसान संघर्ष समिति के नेता जगदीश दोडके वयोवृद्ध नेता टंटी चौधरी ने देश भर से आये सभी का मुलताई की धरती पर स्वागत किया। आन्दोलन के

नेता अनिरूद्ध गुरूजी ने मुलताई के किसान घोषणा पत्र पढ़ा जिस का उपस्थित समुदाय ने समर्थन किया।

विभिन्न साथियों ने अपने वक्तव्यों में ताकत से कहा की आज लोकतंत्र में इस स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि जनतांत्रिक आंदोलनों पर लगातार हमले हो रहे हैं |संवाद की मंशा किसी भी सरकार की नहीं रही है और इस कारण कहीं न कहीं समाज में हिंसा का माहौल बढ़ रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि समाज और सरकार के बीच की दूरी घटे, संवाद और शांति का माहौल बने। सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले बंद हो, झूठे मुक़दमे वापस लिए जाएँ और बेगुनाह लोगों को जेल से रिहा किया जाए, तभी लोगों का विश्वास जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में आगे बढ़ेगा और एक भयमुक्त वातावरण तैयार होगा जिसमे आम जनता के सपने और जीविका के सवाल और संघर्षों का हल निकल सके।

पूर्व जनरल वी.के. सिंह ने आन्दोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा मैं समझ नहीं पाया हूं कि निहत्थे लोगों पर खुले मैदान में गोली कैसी चली होगी। जब तक हम शहीदों को याद रखेंगे तब तक हम संघर्ष को जारी रख सकेंगे। आज जल-जंगल-खनिज का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। मैं मानता हूं कि माओवाद का कारण सामाजिक असमानता है मगर जिस दिन हम इकट्ठे हो जायेंगे उस दिन किसानों की बात सुनी जायेगी।

हाल ही में जेल से छूट कर आयीं झारखंड की आदिवासी महिला नेत्री दयामनी बारला ने घोषणा की कि झारखण्ड की सरकार आज कारपोरेट के हाथों झारखंड की एक-एक पौधे व एक-एक इंच जमीन देने के लिए समझौता कर रही है। लेकिन झारखंड की जनता ने भी कसम खा ली है कि एक इंच भी जमीन कारपोरेट जगत को नहीं दी जायेगी।

शहीदों की विधवाओं का कहना था कि हमे न्याय तभी मिलेगा जब शहीदों के हत्यारों को सजा मिलेगी।

म.प्र. के जन संघर्षों मोर्चा की माधुरी बहन ने कहा कि हम आजाद नहीं हैं हमें आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। आज देश की जीविका के साधन जल-जंगल-जमीन को पूंजीपतियों के हाथों कौड़ियों के मोल दिया जा रहा है। जीविका के साधन को बचाने वाले को गोलियों से उड़ाया जा रहा है, जेलों के अन्दर झूठे केस में डाला जा रहा है।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने देश के किसान संगठनों की एकता की जरूरत की बात कही।

समाजवादी जन परिषद के सुनील ने कहा कि आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि देश में सब जगह किसानों का दमन जारी है और सुनीलम जैसे नेताओं को झूठे केसों में जेलों में डाल दिया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री सुश्री मेधापाटकर ने कहा कि सभी शहीदों की शहादत को साथ लेकर आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 24 किसानों की हत्यारों की आज तक कोई सजा नहीं हुई और निर्दोष जेल में हैं।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुहाटी हाई कोर्ट के बी.डी. ज्ञानी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। उन्होने एक कहानी के माध्यम से बताया की पूरी व्यवस्था में ही दोष आ गया है।

सभा को जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी प्रफुल सामंतरा, मंजू मोहन, विनोद सिंह, देवराम भाई, इरफान पठान, कामायनी, अनिल चौधरी, विमल भाई, जम्मू कश्मीर के पूर्व सांसद अब्दूल रहमान, संतोश भारतीय पूर्व सांसद व संपादक चौथी दुनिया, विजय प्रताप आदि ने सम्बोधित किया। कोलकता से आयी रिता चक्रवर्ती ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गीत गाये।

सभा का समापन करते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री बी.डी. शर्मा ने कहा कि आज अभूतपूर्व दिन है जब देश की सरकार के सामने जनता ताकत से खड़ी है। उन्होने संघर्ष को आगे ले जाने व जल-जंगल-जमीन पर जनता के अधिकार, भू-अधिकार और राज्य-देश की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प दिलाया।

ओम्कारेश्वर बांध विरोधी आंदोलन निर्णायक दौर में

गुजरी 25 फरवरी को ओम्कारेश्वर बांध प्रभावितों ने ओम्कारेश्वर शहर में विशाल रैली निकली. रैली में शामिल लगभग 5000 प्रभावितों ने संकल्प लिया कि वो सत्य, अहिंसा, त्याग और बलिदान के संघर्ष के द्वारा अपने अधिकार लेके रहेंगे. प्रभावितों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि कल होने वाली मंत्रियों की बैठक में प्रभावितों के पुनर्वास के बारे में ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो विस्थापित राजधानी भोपाल में और नर्मदा घाटी में कड़े संघर्ष पर उतरेगें।

उल्लेखनीय है कि ओम्कारेश्वर बांध में हुए 17 दिन के जल सत्याग्रह के बाद गत 10 सितम्बर, 2012 को राज्य सरकार ने ओम्कारेश्वर बांध प्रभावितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में घोषणा की थी कि प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन दी जाएगी. इसके साथ ही मंत्रियों की एक समिति का गठन कर पुनर्वास की सभी समस्याओं का निवारण करने का भी निर्णय लिया गया था। समिति की पहली बैठक 13 सितम्बर, 2012 को दूसरी बैठक 27 सितम्बर, 2012 ओम्कारेश्वर में हुई इन बैठकों में विस्थापितों द्वारा पुनर्वास के सम्बन्ध में अपनी शिकायतें विस्तृत रूप से बताई गयीं। विस्थापितों द्वारा समिति के समक्ष पुनर्वास से सम्बंधित 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गयी हैं। आज 5 माह बाद भी विस्थापितों के पुनर्वास के विषय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और कल 26 फरवरी को समिति पुनः बैठक कर रही है।

25 फरवरी को लगभग 5000 महिला पुरुषों ने ओम्कारेश्वर में रैली निकालकर पूरे शहर को उनके अधिकारों के नारों से गूंजा दिया. रैली निकालकर प्रभावित नागर घाट पर पहुंचे और वहां नर्मदाजी के जल में खड़े होकर संकल्प लिया कि चाहे उन्हें बलिदान ही क्यों न देना पड़े वो अपने अधिकार लेकर रहेंगे. नागर हगात पर ही एक आम सभा का भी आयोजन किया गया और सभा के बाद अनुविभागीय अधिकारी को मंत्रियों की समिति के नाम ज्ञापन दिया गया.।सभा को संबोधित करते हुए नर्मदा आन्दोलन की वरिष्ठ कार्यकर्ता सुश्री चित्तरूपा पालित ने कहा कि गत जल सत्याग्रह की जीत सत्य और संकल्प की जीत थी. अब यदि सरकार हमें हमारे अधिकार नहीं देती है तो आगे और कड़े संकल्प के साथ संघर्ष करना होगा. जरूरत हुई तो हम प्रदेश की सभी जेलों को भर देंगे पर हम अपने अधिकार लेके रहेंगे।

आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता श्री आलोक अग्रवाल ने कहा कि प्रभावित सिर्फ अपने वाजिब अधिकार मांग रहे हैं. सरकार इन अधिकारों को न देकर प्रभावितों

को सिर्फ परास्त करना चाहती है. पर पिछले सालों में हमने अपने संघर्षों में अनेक जीतें हासिल की हैं और आगे भी विस्थापितों की ही जीत होगी. यदि सरकार अधिकार नहीं देती है तो इस बरसात में पूरी नर्मदा घाटी में जल सत्याग्रह होगा.

सभा को कलाबाई, सरपंच ग्राम घोगलगाव, सकुबाई, ग्राम कामनखेडा, नर्मदाबाई, ग्राम एखंड आदि ने संबोधित करते हुए मांग की कि उनके सभी पुनर्वास के अधिकार तत्काल दिए जाये. उन्होंने मांग की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार या तो प्रभावितों को सिंचित एवं उपजाऊ निजी जमीन खरीदकर दी जाये या जमीन खरीदने हेतु वर्तमान बाजार दर पर पुनर्वास नीति की कण्डिका 5.4 के अनुसार अनुदान दिया जाये एवं एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर यह सुनिश्चित किया जाय कि विस्थापित उक्त राशि से पात्रतानुसार उपयुक्त जमीन खरीद ले.

भूमिहीन प्रभावितों को जीविका चलाने न्यूनतम 2.5 लाख रूपये का अनुदान दिया जाये. ओम्कारेश्वर परियोजना की डूब में आ रहे देवास जिले के 5 गाँव धाराजी, कोथमीर, नरसिंगपुर, नयापुरा एवं गुवाड़ी की जमीनों का अधिग्रहण किया जाये और प्रभावित होने वाले सभी आदिवासी परिवारों का पुनर्वास किया जाये.

सभा के अंत में अनुविभागीय अधिकारी श्री चौधरी को पुनर्वास सम्बन्धी मागों का ज्ञापन सौंपा गया एवं चेतावनी दी गयी कि यदि कल की बैठक में इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो विस्थापित शीघ्र ही संघर्ष पर उतरेंगे.

न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर लायी गई थी डूब!
डूब के खिलाफ हुआ था जगह जगह जल सत्याग्रह!!

गुजरी 4 जनवरी को नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बिना पुनर्वास के इंदिरा सागर बांध में 260 मीटर के ऊपर पानी भरने पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब माँगा है. न्यायालय ने म.प्र. सरकार से एन. एच. डी. सी. द्वारा राज्य सरकार को लिखे उस पत्र पर भी जवाब माँगा है जिसमे एन. एच. डी. सी. ने राज्य सरकार को आगाह किया था कि इंदिरा सागर बांध में 260 मीटर से ऊपर 262.13 मीटर तक पानी भरने के पहले उच्च न्यायालय से अनुमति लेना जरूरी है. न्यायमूर्ति श्री बी. एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति श्री जे. एस. केहर की खंडपीठ ने सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

उल्लेखनीय है कि इंदिरा सागर बांध प्रभावितों के सम्बन्ध में नर्मदा बचाओ आन्दोलन की जनहित याचिका पर दिए फैसले में 8.9.2006 को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ने इंदिरा सागर बांध का जल स्तर 260 मीटर रखने का आदेश दिया था. पुनः उच्च न्यायालय ने नर्मदा आन्दोलन की अवमानना याचिका पर निर्णय देते हुए 2.9.2009 को स्पष्ट किया था कि इंदिरा सागर बांध का जल स्तर 260 मीटर के ऊपर ले जाना उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी. इस आदेश को जब राज्य सरकार और एन. एच. डी. सी. ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश दिनांक 20.11.2009 द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को पालन करने का आदेश दिया था. माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशो द्वारा बांध में पानी भरने पर रोक के बावजूद इस बरसात में म.प्र. सरकार और एन. एच. डी. सी. ने इंदिरा सागर बांध में 260 मीटर के ऊपर पानी भर दिया. इस के कारण सैकड़ों घर डूब गए, सैकड़ों एकड़ जमीन बिना अधिग्रहण के डूब गयी और अनेक गाँव टापू बन गए. न्यायालय के आदेशो के खिलाफ नर्मदा आन्दोलन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया है.

<u>उत्तराखण्ड</u>

कॉरपोरेट नहीं जनता बनाएगी पहाड़ों में जल विद्युत परियोजनाएं!

'जनता के जनतंत्र के लिए जनयात्रा'

"...उत्तराखंड के टिकाऊ जनपक्षीय विकास के लिए जनता की प्रोड्यूसर्स कंपनी बना कर पर्यावरण पक्षीय १ मेगावाट की छोटी परियोजना बनाई जा सकती हैं। इसमें पूरी तरह जनता की मिल्कियत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उलोवा कुमाऊं के पनार क्षेत्र की सरयू नदी पर और चेतना आन्दोलन गढ़वाल क्षेत्र के छतियारा में बालगंगा नदी पर यह प्रयोग करने जा रहा है। जिसमें प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट 2002 के तहत ग्रामीणों की दो प्रोड्यूसर्स कंपनियां सरयू हाईड्रो इलैक्ट्रानिक्स पावर प्रोड्यूसर्स लिमिटेड और संगमन हाईड्रो इलैक्ट्रानिक्स पावर प्रोड्यूसर्स लिमिटेड बना दी गई हैं। अब ग्रामीण ही कंपनी के मालिक हैं और कंपनी के मुनाफे में उनका ही हक होगा।..." पेश है रोहित जोशी की रिपोर्ट:

उत्तराखण्ड़ लोक वाहिनी, चेतना आंदोलन, महिला मंच और आजादी बचाओ आंदोलन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ 10 मार्च को जागेश्वर से शुरू हुई यात्रा का देहरादून में प्रेस वार्ता कर समापन किया गया। यात्रादल ने कुमांऊ और गढ़वाल के अपने पड़ावों दन्या, पनार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ग्वालदम, थराली, देवाल, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गोपेश्वर, रूद्रप्रयाग, अगस्तमुनि, श्रीनगर, घनसाली, फलिंडा, चमियाला, उत्तरकाशी, अस्सी गंगा के जलागम क्षेत्र संगमचट्टी और नई टिहरी में जनसभाओं के द्वारा यात्रा के उद्देश्यों को लोगों को बताया।

उज्जवल होटल में हुई इस प्रेसवार्ता में उत्तराखण्ड लोक वाहिनी के केन्द्रीय अध्यक्ष डा0 शमशेर सिंह बिष्ट ने कहा कि यह यात्रा उत्तराखंड को नए सिरे से समझने और संघर्ष की नई रणनीति बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण रही है। पूरे उत्तराखंड में सरकारों की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। बांधों से हो रही तबाही और लुट रहे प्राकृतिक संसाधनों के खिलाफ यह जनाक्रोश ही उत्तराखंड की आगामी राजनीति तय करेगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमें जल, जंगल, जमीन के प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के हकों के लिए संघर्ष करना होगा। दलाल सरकारों और निजीकंपनियों को खुली लूट के लिए पहाड़ी नदियों को नहीं सौंपा जा सकता। उन्होंने कहा अंग्रेजों तक ने कुमांऊ वाटर रूल के तहत प्राकृतिक संसाधनों पर यहां के लोगों की मिल्कियत का अधिकार दिया था। उसके उलट देश के आजाद होने पर सरकार ने सबसे पहले लोगों को उनके प्राकृतिक अधिकारियों से वंचित करने का काम किया और उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद तो प्राकृतिक संपदा अब सरकार के हाथ में भी नहीं है। उसे सरकार ने माफियाओं के हाथ कर दिया है। इसलिए यहां बड़े स्तर पर खनन का अवैध कारोबार खूब पनप रहा है। खनन सिर्फ खड़िया का ही होता हो ऐसा नहीं है वह समूचे पहाड़ की सभ्यता और परम्परा को नष्ट कर रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के टिकाऊ जनपक्षीय विकास के लिए जनता की प्रोड्यूसर्स कंपनी बना कर पर्यावरण पक्षीय १ मेगावाट की छोटी परियोजना बनाई जा सकती हैं। इसमें पूरी तरह जनता की मिल्कियत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उलोवा कुमाऊं के पनार क्षेत्र की सरयू

नदी पर और चेतना आन्दोलन गढ़वाल क्षेत्र के छतियारा में बालगंगा नदी पर यह प्रयोग करने जा रहा है। जिसमें प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट 2002 के तहत ग्रामीणों की दो प्रोड्यूसर्स कंपनियां सरयू हाईड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर प्रोड्यूसर्स लिमिटेड और संगमन हाईड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर प्रोड्यूसर्स लिमिटेड बना दी गई हैं। अब ग्रामीण ही कंपनी के मालिक हैं और कंपनी के मुनाफे में उनका ही हक होगा। ऐसी ही परियोजनाएं बनाकर पहाड़ से पलायन को रोका जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि आगामी २३ अप्रैल को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पेशावर कांड को याद करते हुए जागेश्वर में एक राष्ट्रीय कन्वेंशन किया जा रहा है। यह यात्रा उसकी प्रिप्रेशन/तैयारी यात्रा है। जिसमें कि जनता के खिलाफ बने कानूनों को ना मानने यानी सिविल ना-फरमानी का निर्णय लिया जाएगा।

महिला मंच की कमला पंत ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद सपनों के उलट राज्य विकास के बजाय विनाश झेल रहा है। पहाड़ की शर्तों पर पहाड़ के विकास की अवधारणा बिल्कुल गायब है। पूरे प्रदेश में गावों के विकास के बजाय बांधों में उन्हें डुबो देने की परियोजनाएं चल रही हैं। और जो गांव बांध की जद में नहीं आते उन्हें सरकारी नीतियां ने पलायन की बाढ़ पैदा कर मैदानों की तरफ धकेला है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। गांवों में जो कुछ बच भी रहा है उसे शराब में डुबो देने के सारे प्रबंध हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के ऐसे त्रासद दौर से उसे जनांदोलन ही उभार पाएंगे। और आंदोलनों को ही विकास का वैकल्पिक मोडल भी सामने रखना होगा। यह यात्रा और सरयू और बालगंगा नदी की ये प्रस्तावित जन-परियोजनाएं इसी मुहिम का एक हिस्सा हैं।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए चेतना आन्दोलन के संयोजक त्रेपन सिंह चैहान ने कहा है कि वन अधिनियम 2006 के तहत कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले सरकार को ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन उत्तराखण्ड़ में इस कानून का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है और खनन एवं बांधों के लिए अनुमति दे रही है जो सरासर गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ को तबाह करती इन बाँध परियोजनाओं का विरोध पहाड़ की जनता के लिए अनिवार्य हो गया है. इसके लिए जनता को अपने दुश्मनों को पहचानते हुए उनके खिलाफ संघर्ष करना होगा. उन्होंने कहा कि पहाड़ में शासन कर रही सारी मुख्य राजनीतिक पार्टियां पहाड़ विरोधी हैं. वे मुजफ्फर नगर कांड के प्रमुख दोषी अनंत कुमार सिंह और बुआ सिंह को सजा देने के बजाय लगातार उनकी पदोन्नति करती रही हैं. यह इनके पहाड़ी जनता के प्रति विरोधी नजरिये को दर्शाता है.

आज़ादी बचाओ आंदोलन के मनोज त्यागी ने कहा कि इस यात्रा का बड़ा उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में स्थानीय जनता की मिल्कियत का है। यह संवैधानिक मांग है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ग्राम सभाओं को अपने फैसले लेने का हक देता है. इसी के अनुसार पहाड़ की जनता का अपनी नदियों और अपने संसाधनों पर पहला हक है। उत्तराखंड पानी का प्रमुख स्रोत है। बाजार के सभी लोग अब इस पानी और बिजली के कारोबार में टूट पड़े हैं। इस सब में जनता के हकों की बात नदारद है। सरकारें कंपनियों को पानी सौंप कर उनके हकों को छीन रही हैं और वहीं दूसरी ओर जनता की प्रोड्यूसर्स कंपनी को मदद पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं दिखता। इसके लिए जनता को जन विरोधी नीतियों और कानूनों के लिए सिविल ना-फरमानी का ऐलान करना होगा।

उलोवा के पूरन चंद्र तिवारी ने सभा में कहा कि उत्तराखंड से लगातार हो रहे पलायन की वजह से यहाँ किसी भी किस्म के टिकाऊ विकास के मॉडल का न हो पाना है। अगर माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जनता खुद अपनी कंपनी बना कर शुरू करे तो यहाँ पहाड़ के पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए एक स्थाई विकास का मॉडल खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा इस सपने को गाँव-गाँव तक पहुचाने की एक मुहिम है.

यात्रा में टिस मुंबई में माइक्रो हाइड्रो पर अध्ययन कर रहे अंकुर जायसवाल, इलाहबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर प्रदीप कुमार, इलाहबाद यूनिवर्सिटी में ही गणित के सहायक प्राध्यपक स्वपनिल श्रीवास्तव, गांधी स्वराज विद्यापीठ की अध्यक्षा सुमन शर्मा, महिला मंच की पद्मा गुप्ता, सरयू हाईड्रो इलैक्ट्रानिक्स पावर प्रोड्यूसरर्स लिमिटेड के अध्यक्ष राम सिंह, बसन्त राम, और लक्षमण सिंह आदि लोग यात्रा में शामिल रहे।

दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

महिला दिवस पर आजाद मैदान से मुम्बई-दिल्ली संघर्ष यात्रा आरंभ

महाराष्ट्र

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुम्बई के आजाद मैदान से मुम्बई-दिल्ली संघर्ष यात्रा का आरंभ हुआ। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर यानि 'डीएमआईसी' के खिलाफ इस यात्रा का आरंभ लवासा, वांग मराठवाड, नर्मदा, कंझावाला, दिल्ली, औरंगाबाद, पुणे, गोलिबार और मुम्बई के अनेक बस्तियों की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रसिद्ध मराठी लेखिका हिराबाई दया पवार की उपस्थिति में किया।

सब जगह एक ही संघर्ष चालू है। आज पूंजीवादी ताकतें गरीबों से भी गरीब का जो कुछ बचा है उसे भी छिनने को आमादा है। जिस पर हमारा घर बना है वो छोटा टुकड़ा भी, चाहे वो खेत में हो या बस्ती में 'सोना' है। वे ये सब छीन लेना चाहते हैं और यही है 'डीएमआईसी' की असलियत। 'डीएमआईसी' जिसमें 1483 कि. मी. लम्बा राजमार्ग, जिसका प्रभावित क्षेत्र भारत की 14 प्रतिशत भूमि और 17 प्रतिशत आबादी होगी। इस जमीन का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि है जिसका देश के खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा।

खानदेश से चलकर मुम्बई-दिल्ली कारीडोर संघर्ष यात्रा 11 मार्च को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पहुंची। डीएमआईसी विरोधी शेतकारी हक्क समिति और सेज-डीएमआईसी विरोधी संघर्ष समिति ने एक सार्वजनिक सभा में यात्रा का स्वागत किया।

डीएमआईसी परियोजना के तहत औरंगाबाद को महाशहर घोषित किया गया है। जिसमें 310 गांवो की 209000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जायेगी इस तरह औरंगाबाद जिले में कुल मिलाकर अगले कुछ सालो में 362 गांवो की 234000 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण करने की योजना है। इन सभी परियोजना से विस्थापितों की संख्या के मात्र 20 प्रतिशत को ही शायद रोजगार मिल सकेगा। सुभाष पाटिल ने कहा कि आज मराठवाड़ा क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा है। और यहाँ 54 एमआईसी पानी की आवश्यकता जायकवाड़ी बांध से पूरी नही हो पा रही है। अब पानी नही है। अब ऊपर के क्षेत्र में भी बांध बन गया है। आज मुआवजे के तौर पर सरकार अगर किसानों को एक करोड़ रूपया प्रति एकड़ भी देती है तो भी औरंगाबाद शहर में 2 कमरे का एक फ्लैट खरीदना मुश्किल है। इस हकीकत से जमीन से जुड़े हुए लोग वाकिफ हैं। यहाँ के एम एल ए और एम पी सब इस लूट में शामिल हैं। उनकी जमीनें इन गाँवों में अधिग्रहित नहीं होती लेकिन किसानों की जमीनें लूटी जाती हैं।

गुजरात

दिल्ली-मुम्बई कॉरीडॉर : संघर्ष यात्रा में खुली 'शाईनिंग गुजरात' की पोल

अपने पांचवे दिन डीएमआईसी के खिलाफ चल रही मुंबई-दिल्ली संघर्ष यात्रा 13 मार्च को गुजरात पहुंची। मुंबई से 8 मार्च को आंरभ होकर यात्रा महाराष्ट्र के कोंकण, खानदेश और मराठवाड़ा क्षेत्रों में गई। आज गुजरात को मुख्यमंत्री द्वारा निवेश के लिये 'विकास का एक बहुत ही आकर्षक क्षेत्र' के रुप में प्रचारित किया जा रहा है।

कारपोरेट क्षेत्र के लिये गुजरात में आज लालकालीन बिछाया जा रहा है। सेज, विशेष निवेश क्षेत्र, पैट्रौलियम-कैमिकल-पैट्रौकैमिकल निवेश क्षेत्र बनाये जा रहे हैं और इस चमक-दमक में जो महत्वपूर्ण सामाजिक विषय हैं जैसे कुपोषण, लिंगानुपात, शिक्षा, स्वास्थय आदि को छुपाया जा रहा है। असलियत यह है कि इन सब विषयों पर गुजरात की स्थिति शर्मनाक है। संघर्ष यात्रा ने इस सत्य को जनता के सामने रखा है।

उमरगांव में आज भी लोग लै0 प्रताप सावे जी की पुलिस बर्बता से हुई हत्या से उबर नही पाये है। वहीं अब एक इजरायली कंपनी एक भारतीय कंपनी के

साथ मिलकर बहुत बड़ा नया बंदरगाह बना रही है। पार-तापी-नर्मदा नदी जोड़ परियोजना के कारण धर्मपुर के आदिवासियों की जलसंपदा दिन के उजाले में लुट रही है। ऐसे में डीएमआईसी के कारण आने वाली विभिन्न परियोजनाओं के कारण सूरत और भरुच के गांवो के आदिवासियों की भूमि छीनने का खतरा आ गया है।

असली मुद्दे हैं-

- गुजरात में चमकीले निवेश के बावजूद बेरोजगारी की समस्या पहले की तरह ही बरकारार है। वास्तव में गुजरात मात्र रोजगार हीन वृद्धि के रास्ते पर है।
- यह पूरी तरह काला झूठ है कि लोग इच्छापूर्वक अपनी जमीन-जंगल-पानी जैसी संपदा को छोड़ रहे है। जबरिया अधिग्रहण और अन्यायी परियोजनाओं का हर जगह विरोध हो रहा है।
- ढांचागत परियोजनाओं चाहे वो रेलवे लाइनें हो, दुत्रगतिमार्ग हो, बंदरगाह हो, अणुऊर्जा के प्लांट हो सब जगह विरोध है। लोगों ने सरकारी दावों की पोल देख ली है। और वो अब संघर्ष के रास्ते पर हैं।
- कामगार लोग-आदिवासी, मछुआरों, किसानों, असंगठित कामगार आदि को इस तथाकथित विकास की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और उन्हे शहरी स्लम के नरक में फेका जा रहा है।

'गुजरात विकास का माडॅल है' यह झूठ अब उधड़ना शुरु हो गया है।

डीएमआईसी के खिलाफ चल रही मुंबई-दिल्ली संघर्ष यात्रा को यही संदेश गुजरात के परियोजना प्रभावितों से मिला है।

<u>राजस्थान</u>

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का राजस्थान में जमकर विरोध होगा, जयपुर बैठक का निर्णय

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का राजस्थान में जमकर विरोध होगा, यह निर्णय आज जयपुर में विनोबा ज्ञान मंदिर में हुई एक बैठक में तय किया गया। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा राजस्थान चरण के प्रभावित इलाके जैसे नीमराना-अलवर, अजमेर-किशनगढ़, भीलवाड़ा-राजसमन्द, जयपुर-फुलेरा से आये सैंकड़ों व्यक्तियों व बाड़मेर, उदयपुर-चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे प्रतिनिधि ने मिलकर आज मुम्बई, गुजरात, मध्यप्रदेश से होती हुई आई जनांदोलन के राष्ट्रीय समन्वय की यात्रा का जयपुर में स्वागत किया व संकल्प लिया कि भूमि अधिकार उनका हक है और भू-अधिग्रहण नहीं चाहिए। जल, जंगल, जमीन पर पहला हक खाद्यान्न का है न कि किसी उद्योग का। इस यात्रा के अधिकांश यात्री प्रभावित इलाके के थे व एक ही नारा था "खेती की जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। यह तय हुआ कि राजस्थान में सभी आन्दोलनों को साथ लेते हुए एक राज्य स्तरीय मंच बनाकर लड़ाई लड़ी जायेगी। यात्रा 8 मार्च को मुम्बई से निकलकर दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारे के बारे में अलग-अलग शहरों में जाकर इस परियोजना के खतरों के बारे में जागरण कार्यक्रम कर रही है।

विनोबा ज्ञान मंदिर में हुई बैठक में मधुरेशभाई ने डीएमआईसी की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि देश का 13 प्रतिशत हिस्सा इस दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारे से प्रभावित होगा ,जिसका बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। इस परियोजना के दस्तावेज के मुताबिक 1500 किलो. के इस गलियारे का 38प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में पड़ता है।

राजस्थान का लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन इसके प्रभाव क्षेत्र में आयेगी जो कि राजस्थान का 58 प्रतिशत हिस्सा बनता है। पूरे हिस्से का 70 प्रतिशत हिस्सा और ग्रामीण क्षेत्र होगा। इस गलियारे की कल्पना इस रूप में की गई है कि उसके आजू-बाजू 150-200 किलोमीटर क्षेत्र में उद्योग खड़े किये जायेंगे। इस पूरे गलियारे में सात शहर बनाये जायेंगे जिसमें गुजरात का एक शहर दिल्ली से भी बड़ा बनाने की कल्पना है। स्पष्ट है कि कृषि को समाप्त करने का इससे बड़ा कार्यक्रम कभी बना ही नहीं।

विस्थापन जिस कदर होगा वह कल्पना के परे है। इलाके से आये प्रभावित लोगों को उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात में जमकर इसका विरोध हो रहा है और राजस्थान में भी अगर संघर्ष होगा तो उसको जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय पूर्ण रूप से सहयोग करेगा।

दिल्ली के राजेन्द्र रवि ने कहा कि यह मात्र एक गलियारा नही है बल्कि पूरे देश को जोड़ने की बात है। विस्थापन से देश पहले ही त्रस्त है। हमारी संस्कृति का मुआवजा नही हो सकता है। जीत और हार नही सिर्फ संषर्घ ही हमारी रणनीति होगी।

किशनगढ़ के सिलोरा ब्लोक से आई महिलाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि कुछ वर्षों से जमीनों के दलालों से वे परेशान हैं और उन्हें एक-एक बीघा का 20 लाख तक का भाव का लोभ दिया जा रहा है व घरों में कलह हो रही है कि जमीन बेची जा रही है। उनका नेतृत्व कर रहे रामकरण ने कहा कि किशनगढ़ में 500 मार्बल की कंपनियां काम कर रही है। 20 वर्ष बाद जो किसान पहले मालिक था आज इन कंपनियों में सामान उठाने की नौकरियां मांग रहे है। उन्हे कहा जा रहा है की अपनी लड़कियों को काम के लिये भेजो अधेड़ो को काम नही जिसकी जमकर निन्दा की गई। सभी का मानना था कि किशनगढ़ में शीघ्र ही बैठक करनी होगी।

बाड़मेर के बायतु इलाके से आये विक्रमभाई ने कहा कि वहां के लोगों द्वारा रिफाईनरी के लिए जमीन देने के विरुद्ध एक संघर्ष समिति बनाई गई है और वहां के लोग जमीन नहीं देंगे।

<u>नवलगढ़</u>

17 मार्च को राजस्थान प्रवेश के दूसरे दिन जयपुर से आगे बढ़ते हुए यह यात्रा नवलगढ़ के पास गोठड़ा गांव पहुंची गोठडा जहाँ आस-पास के कई गांवों के सैकड़ों ग्रामवासी पहुंचे थे। ग्रामीणों ने जहां गर्म जोशी के साथ जय जवान जय किसान नारे दिये। उपस्थित जनसमूह ने इस यात्रा कि नेत्री और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री मेधा पाटकर के साथ पहुंचे देश के विभिन्न संगठनों के साथियों का स्वागत किया। लगभग 20 साथी इस यात्रा में बराबर साथ है। नवलगढ़ क्षेत्र में सीमेन्ट कम्पनियों हेतु उत्खनन के लिए 6,000 हेक्टेअर जमीन अधिग्रहण के विरूद्ध संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री दीपसिंह शेखावत के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के अगुवा बहनों और भाईयों ने उपस्थित ग्रामीणों एवं यात्रा के साथियों के बीच यह सवाल किया कि राजस्थान जैसे पानी की कमी वाले राज्य में जहाँ पानी कम उपलब्ध है, पर इसके बावजूद ज्यादा पानी कि आवश्यकता वाले सीमेन्ट जैसे उद्योग लगाना केवल गलत ही नहीं वरन् जनतांत्रिक व्यवस्था में आपराधिक कृत्य है।इलाके में हो रही किसानी का हवाला देते हुए श्री दीपसिंह जी ने इस बात पर जोर दिया कि किसान और किसानी को खत्म करना चाह रही है। यह सीमेन्ट परियोजना क्या लोगों को 'सीमेन्ट की रोटियां खिलायेगी'? जमीन और किसानी खत्म होने से देश में गहरे अन्न संकट कि संभावना पर कोई चिंतन सरकार करती हुई नहीं दिख रही है। कि जीविका कि लूट को रोकने और देश को बचाने का आवाहन किया। अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें भू-अधिग्रहण का कानून नहीं पर भू-अधिकार चाहिए। हमें नई विस्थापनहीन विकास की नीति चाहिये।गोठडा से आगे यात्रा का अगला पड़ाव रहा नीम का थाणा क्षेत्र के मड़ावा और भराला गांव यहां कैलाश मीणा, सांवराराम, कारगिल युद्ध के सेनानी और वीरचक्र पुरस्कृत जयराम सिंह ने यात्रा का स्वागत किया और अपने क्षेत्र में होने जा रही कुदरती संसाधनों की लूट-खसोट को किस तरह से लोगों ने रोक रखा है यह जानकारी दी.

मुम्बई-दिल्ली संघर्ष यात्रा में10 राज्यों के कार्यकर्ता शामिल हुए। संघर्ष यात्रा 18 मार्च को दिल्ली पहुंचकर किसान-खेत मजदूर महापंचायत में बदल गई। यात्रा का उद्देश्य डीएमआईसी के क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को जोड़ने का एक प्रयास था।

19 मार्च को दिल्ली में दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडॉर: भ्रम और सत्य सम्मेलन का आयोजन किया गया.

आखिर क्या है : दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ?

दिल्ली मुबंई औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। यह प्रोजेक्ट भारत और जापान सरकार के संयुक्त प्रयास से बन रहा है। इस कॉरिडोर को बनाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य निवेश और व्यापार को बढ़ाना है। इसके पहले फेस पर तकरीबन 100 अरब डॉलर का खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिसके लिए सरकार डीएफसी यानी डेडिकेटिड फ्रेट क़रिडोर का भी निर्माण कर रही है यह एक 1483 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर देश की राजधानी दिल्ली को देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगी। जिसमें मल्टी मॉडल हाई एक्सल लोड डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यह कॉरिड़ोर देश के छह राज्यों से होकर गुजरेगा जिसकी शुरुआत यूपी के दादरी से होगी जो मुंबई के जवाहर लाल नेहरु पोर्ट पर खत्म होगा।

सरकार और निजी उद्यमियों को मिलाकर विशेष इकाई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएमआईसीडीसी) का गठन किया गया है, जो 6 राज्यों में जमीन के अधिग्रहण की कोशिश करेगी। ये 7 विनिर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश के दादरी-नोएडा-गाजियाबाद, हरियाणा के मानेसर-बावल, राजस्थान के खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा, गुजरात के अहमदाबाद-धोलेरा, मध्य प्रदेश के पीथमपुर-धार-महू और महाराष्ट्र के दिघी पोर्ट और शेंद्रा में विकसित किए जाने हैं। कॉरिडोर का 77% हिस्सा गुजरात (38%) और राजस्थान (39%) से होकर गुजरेगा जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा से 10%-10%, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली का 1.5% -1.5% योगदान इस पूरे प्रोजेक्ट में होगा।

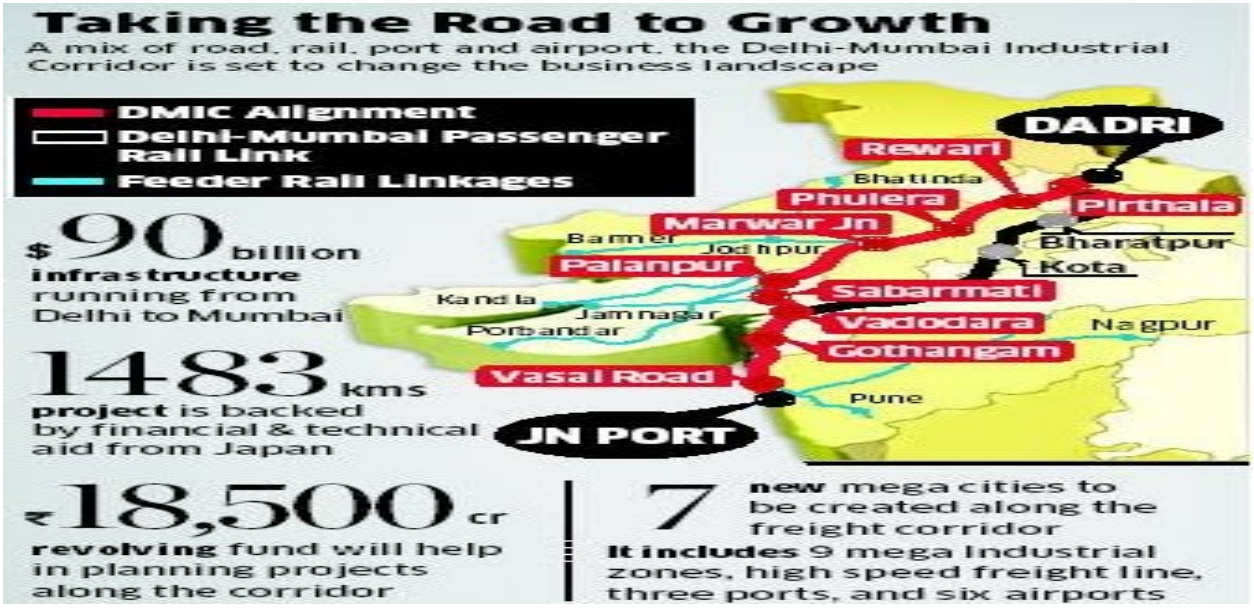

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के साथ 9 बड़े मेगा इंडस्ट्रियल जोन बनाने की तैयारी चल रही हैं जो 200-250 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। इसके अलावा हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर, छह एयरपोर्ट, छह लेन एक्सप्रेस वे इस कॉरिडोर से जुड़े होंगे साथ ही सरकार इस प्रोजेक्ट के साथ कई इंडस्ट्रीयल हब, फैक्ट्रियां और कारखाने विकसित करने की योजना पर काम करेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत की ओर आकर्षित किया जा सके।
इस कॉरिडोर के बीच में 9 जंक्शन बनाए जाएंगे जो देश के दूसरे राज्यों तक सड़क मार्ग से माल ढुलाई का काम करेंगे।

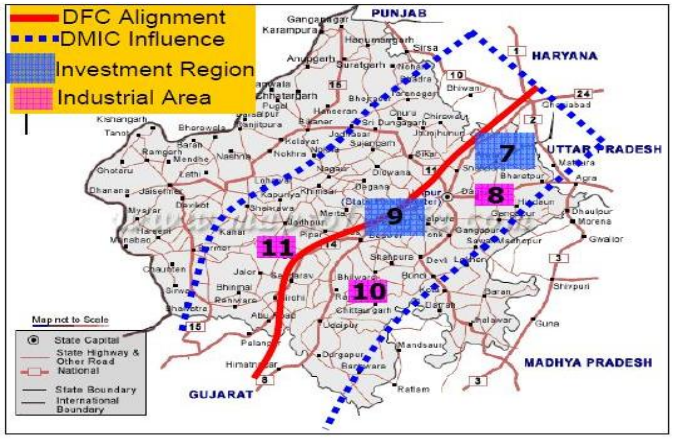

Location Map for Proposed Development Nodes in DMIC-Rajasthan

डीएमआईडीसी के अंतर्गत कॉरिडोर ही नहीं बल्कि 7 नए शहर भी बसाए जायेगे । दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक इंडस्ट्रीयल लेन होगी जो डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए जुड़ी होगी। इसके आसपास 7 नए इंडस्ट्रीयल शहर विकसित किये जायेगें।

1483 किलोमीटर लंबाई वाले दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए आवंटित बिजली परियोजनाओं में से 2-2 महाराष्ट्र और गुजरात में तथा 1-1 मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगाए जाने हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र के 2 और मध्य प्रदेश की एक परियोजना के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा पहले चरण के लिए हरी झंडी भी मिल गई है।

इसके पहले फेस पर काम शुरु हो चुका है जिसमें गुजरात के धोलेरा में एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, गांधीनगर-अहमदाबाद-धोलेरा स्थानीय मैट्रो रेल लिंक, इंदौर एयरपोर्ट और पीथमपुर को जोड़ने के लिए एक स्पेशल लिंक रोड़, मध्यप्रदेश के उज्जैन में नॉलेज पार्क सिटी, हरियाणा के मानेसर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब, राजस्थान के भिवाडी में मल्टी लॉजिस्टिक हब आदि शामिल हैं इसके लिए डीएमआईसीडीसी टेंडर जारी कर चुकी है इस पर 100 अरब डॉलर खर्च होने हैं इसमें 10 अरब डॉलर जापानी कंपनियां खर्च करेंगी जबकि बाकी 90 अरब डॉलर के निवेश का सरकार ने खुलासा नहीं किया है।

दिल्ली-मुम्बई कॉरिडॉर की असलियतः-

- खेती की भूमि, खेतीहरों की लूट।
- परियोजना से मानव व पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की कोई चर्चा नहीं।
- इसके लिये पानी-बिजली और दूसरे संसाधन कहाँ से आयेगें इसकी कोई चर्चा नहीं।
- छोटी परियोजनाओ में भी सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभावों, आर्थिक लाभ-हानि, उपादेयता आदि पर विचार किया जाता है किन्तु कॉरीडार में ऐसी कोई चर्चा नहीं।
- कॉरीडार मे बनने वाली परियोजनाओं के आपसी प्रभावों पर कोई चर्चा नहीं।
- वास्तविक लागत होगी करोड़ों की आजीविका व मानवीयता पर बुरा असर, जिसकी कोई चर्चा नहीं।

दिल्ली से मुंबई तक, जगह-जगह इस योजना को लादा जा रहा है। विनाश और आतंक समझकर, किसान और उनसे जुड़े तमाम लोग भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। शासन से सवाल कर रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं। लेकिन जापान से पूरी मदद तय होने से देश के मेहनतकशों की, गांवों की, किसान-मजदूरों की परवाह न करते हुए केन्द्र और 6 राज्यों की सरकारे (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश) मिल-जुलकर इसे आगे बढ़ा रही हैं। पर हम देश भर के जनआंदोलन जो विस्थापन के खिलाफ बरसों से संघर्ष कर रहे हैं इसका विरोध करते हैं। चूंकि हम जानते है कि सरकारी वादों और दावों की असलियत क्या है? पुनर्वास का क्या होता है? परियोजनाओं से पहले और बाद की हकीकत क्या होती है? आज तक देश की 10 प्रतिशत आबादी छोटी-बड़ी परियोजनाओं से विस्थापित हो चुकी है। जिसमें से एक बड़ा हिस्सा कई बार विस्थापन झेल रहा है।

कूडनकुलम: रिएक्टर चालू होने से पहले ही आशंका के घेरे में, सरकार अड़ी

तमिलनाडु के कूडनकुलम में रूस से आयातित परमाणु बिजलीघर की सुरक्षा प्लांट के शुरु होने से पहले ही आशंकाओं के घेरे में आ गयी है. अणु-ऊर्जा नियमन बोर्ड ने रिएक्टर की सुरक्षा जांच दुहराने के आदेश दिये हैं. यद्यपि रिएक्टर के संचालन के लिए जिम्मेवार कम्पनी परमाणु शक्ति कारपोरेशन के अधिकारी और परमाणु ऊर्जा विभाग से जुडे वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि ऐसा कूडनकुलम बिजलीघर की सुरक्षा पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, कूडनकुलम में इस रिएक्टर परियोजना के खिलाफ़ आन्दोलनरत समूह पीपुल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी (पीमाने) ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना की सुरक्षा सम्बंधी आशंकाएँ सही साबित हो रही हैं. 11 मार्च को फ़ुकुशिमा दुर्घटना की दूसरी बरसी के मौके पर परमाणु निरस्त्रीकरण और शांति गठबन्धन (सीएनडीपी) द्वारा दिल्ली में आयोजित कन्वेन्शन में विडियो-कान्फ्रेंसिंग के जरिये बोलते हुए कूडनकुलम आन्दोलन के नेता एस. पी. उदयकुमार ने कहा कि उन्हें स्थानीय स्रोतों से रिएक्टर के अन्दर लीक होने, पिछले तीन महीनों में चार कामगारों के मरने और प्लांट में गम्भीर तकनीकी गड़बड़ियाँ होने की पुख्ता खबर मिली है.

ध्यान रहे कि इस रिएक्टर परियोजना के खिलाफ़ पिछले पच्चीस साल से स्थानीय लोग, जिनमें ज़्यादातर मछुआरे और् किसान हैं, आन्दोलन कर् रहे हैं. इस आन्दोलन में फ़ुकुशिमा दुर्घटना के बाद तेजी आई है. रिएक्टर की सुरक्षा और् इसके पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा इस परियोजना से निकटवर्ती गाँवों के लोगों की जीविका के संकट ने लोगों को आन्दोलन के लिए उद्वेलित किया. अनेक स्वतन्त्र वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इस परियोजना के खतरों से लोगों को आगाह किया है. इस आन्दोलन में एक तरफ़ जहाँ हज़ारों की संख्या में आम मछुआरों, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस जनांदोलन को कुचलने के लिए निर्मम दमन का सहारा लिया है. गत सितम्बर में रिएक्टर में ईंधन भरे जाने की घोषणा के बाद हुए आन्दोलन में दर्जनों महिलाओं सहित सैकड़ों लोग गिरफ़्तार हुए, आँसू गैस और डंडे बरसाए गए और दो लोगों की मौत हो गई वहीं लगभग दस हज़ार लोगों पर देशद्रोह और भारतीय राज्य के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने के मुकदमे दायर किए गए हैं. ताजा घटनाक्रम में कूडनकुलम में सरकार ने दो और रिएक्टरों के लिए मंज़ूरी दे दी है, जबकि मौजूदा दौर के दो रिएक्टर जो उत्पादन शुरु करने के लिए लगभग तैयार हैं, उन्हीं के सन्दर्भ में पर्यावरणीय मंजूरी ना होने और खतरों की लापरवाही जैसे तथ्य सामने आए हैं.

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक लोकप्रिय पत्रिका साबित हुई है। जून 2012 से इसके वेब-संस्करण (sangharshsamvad.org) की शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने क्षेत्र में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940